रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड (IV)

PART III—Section (IV)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 13, 2000/कार्तिक 22, 1922

No. 141] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 13, 2000/KARTIKA 22, 1922

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2000

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

साधारण विनियम, 2000

फा. सं. एल डी 63/लीगल.— लीगल :- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 52 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ऐसे अधिकरण से पूर्व की गई या न की गई बातों के सिवाय भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (साधारण विनियम, 1990) को अधिक्रांत करते हुए बोर्ड निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

अध्याय - I

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (साधारण विनियम) 2000 है।

3104 GI/2000—1

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. **परिभाषाएँ**

इन विनियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो --

(क) 'अधिनियम' से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) अभिप्रेत है;

(ख) "हिताधिकारी स्वामी" से निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन परिभाषित हिताधिकारी स्वामी अभिप्रेत है;

(ग) "निक्षेपागार" से निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन परिभाषित निक्षेपागार अभिप्रेत होगा;

(घ) "प्ररुप" से इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(ङ) "सदस्य" से, यथास्थिति, अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित कार्यपालक समिति या धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन गठित किसी अन्य समिति का सदस्य अभिप्रेत है;

(च) "रजिस्टर" से लघु उद्योग बैंक की एक या अधिक बहियों में रखा गया शेयरधारकों का रजिस्टर अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत अधिनियम की धारा 20 ख के अधीन कम्प्यूटर फ्लापियों, डिस्केट्स, कॉम्पैक्ट डिस्क या अन्य किसी इलेक्ट्रानिक फार्म में रखा गया शेयरधारकों का रजिस्टर है;

(छ) उन शब्दों और पदों के जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वे अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

indiacode

अध्याय - II

बोर्ड और कार्यपालक समिति की बैठकें

3. बोर्ड की बैठकें

(1) बोर्ड की बैठकें, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में पूर्णकालिक निदेशकों में से किसी एक निदेशक द्वारा या दोनों की अनुपस्थिति में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा इस निमित्त नामनिर्देशित कार्यपालक निदेशक या मुख्य महाप्रबन्धक द्वारा बुलाई जाएंगी।

(2) कोई भी चार निदेशक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा नामनिर्देशित किसी पूर्णकालिक निदेशक से किसी भी समय बोर्ड की बैठक बुलाने की अपेक्षा कर सकेंगे और वह तदनुसार तुरन्त बैठक बुलाएगा।

(3) बोर्ड की बैठकें लघु उद्योग बैंक के प्रधान कार्यालय में या किसी ऐसे स्थान पर, जो बैठकें बुलाने की सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, की जाएंगी।

(4) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कम से कम दस दिन की सूचना साधारणतया दी जाएगी और ऐसी सूचना प्रत्येक निदेशक को भारत में उसके प्रायिक पते पर भेजी जाएगी। यदि कोई आपात बैठक बुलाना आवश्यक पाया जाए तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पहले उसकी सूचना दी जाएगी, जिससे कि वह उसमें उपस्थित हो सके।

(5) जिस कामकाज के लिए बैठक बुलायी गयी थी, उससे भिन्न, किसी कामकाज की चर्चा बोर्ड की बैठक में, उस बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति और उपस्थित बहुसंख्यक निदेशकों की सहमति के सिवाय तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि लिखित रूप में उसकी सूचना अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को पूरे एक सप्ताह पहले न दे दी गई हो।

(6) बोर्ड की किसी बैठक में कार्य करने के लिए गणपूर्ति बोर्ड को तत्समय गठित करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी (इस एक-तिहाई में किसी भिन्न को एक में पूर्णांकित किया जाएगा)।

(7) सभी निदेशकों को भारत में उनके प्रायिक पतों पर लिखित रूप में परिचालित तथा ऐसे निदशकों की जो उस समय भारत में हैं, जिनमें से एक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक या कोई एक पूर्णकालिक निदेशक होगा, बहुसंख्या द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित संकल्प विधिमान्य और प्रभावशील होगा तथा उसे उस तारीख को जिसको उस संकल्प पर हस्ताक्षर करने वाले अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा उसके लिए सहमति दी गई है और वह हस्ताक्षरित किया गया है, बोर्ड द्वारा पारित संकल्प समझा जाएगा:

परन्तु यदि विसम्मति प्रकट करने वाला कोई निदेशक लिखित रूप में अपेक्षा करता है कि इस प्रकार पारित कोई संकल्प बोर्ड की बैठक के समक्ष रखा जाए तो वह संकल्प तब तक यथा उपर्युक्त रूप से विधिमान्य और प्रभावशील नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह ऐसी बैठक में पारित न कर दिया जाए।

(8) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही की एक प्रति उसके पश्चात यथाशीघ्र निदेशकों की जानकारी के लिए परिचालित की जाएगी और उस पर बैठक या ठीक आगामी बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

4. कार्यपालक समिति की शक्तियाँ

(1) कार्यपालक समिति को अधिनियम की धारा 34 के उपबन्धों के अधीन, उन विषयों के सिवाय जो अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए किसी विनियम के अधीन, बोर्ड के लिए विनिर्दिष्ट रूप से आरक्षित है, लघु उद्योग बैंक के सभी प्रायिक कामकाज करने की पूरी शक्तियाँ होंगी।

(2) अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में कार्यपालक समिति ऐसे साधारण या विशेष निदेशों से आबद्ध होगी, जो बोर्ड समय-समय पर दे।

5. कार्यपालक समिति की बैठकें

(1) कार्यपालक समिति की बैठकें लघु उद्योग बैंक के प्रधान कार्यालय में या भारत में ऐसे अन्य स्थान पर जो बैठकें बुलाने की सूचना में विनिर्दिष्ट हो, समय-समय पर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक या उसकी अनुपस्थिति में किसी एक पूर्णकालिक निदेशक द्वारा बुलाई जा सकेंगी। ऐसी बैठकों के लिए पर्याप्त सूचना दी जाएगी।

(2) कार्यपालक समिति की किसी बैठक में कार्य करने के लिए गणपूर्ति कार्यपालक समिति की नियुक्त कुल संख्या का एक-तिहाई होगी (इस एक-तिहाई में किसी भिन्न को एक में पूर्णांकित किया जाएगा)।

(3) इस विनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय अधिनियम के और इन विनियमों के उपबंध कार्यपालक समिति की बैठकों पर इस प्रकार लागू होंगे, मानो वे बोर्ड की बैठकें हों।

6. कोई निदेशक या सदस्य उन विषयों के बारे में कार्रवाई नहीं करेगा जिनमें वह व्यक्तिगत रूप से सम्बद्ध है

(1) बोर्ड का प्रत्येक निदेशक और कार्यपालक समिति का प्रत्येक सदस्य जो लघु उद्योग बैंक द्वारा या उसके निमित्त की गई या की जाने वाली किसी संविदा या ठहराव में अथवा प्रस्तावित संविदा या ठहराव में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: किसी भी रूप में सम्बद्ध या हितबद्ध है, अपनी सम्बद्धता या हित के स्वरूप को, यथास्थिति, बोर्ड या कार्यपालक समिति की बैठक में प्रकट करेगा:

परन्तु किसी निदेशक या सदस्य के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह उस स्थिति में, जिसमें कि उसका उक्त सम्बन्ध या हित उसकी एकल रूप से अथवा बोर्ड के किसी अन्य निदेशक या निदेशकों अथवा कार्यपालक समिति के किसी सदस्य या सदस्यों के साथ धारिता, कुल मिलाकर ऐसी कम्पनी की समादत्त शेयर पूँजी के दो प्रतिशत से अधिक नहीं है, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अर्थान्तर्गत किसी कम्पनी या किसी विदेशी कम्पनी के साथ की जाने के लिए प्रस्तावित ऐसी किसी संविदा या ठहराव में अपने संबंध या हित को प्रकट करे।

(2)(क) प्रस्तावित संविदा या ठहराव की दशा में, वह प्रकटीकरण, जो उपविनियम (1) के अधीन बोर्ड के किसी निदेशक या कार्यपालक समिति के सदस्य द्वारा किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, बोर्ड या कार्यपालक समिति की उस बैठक में, जिसमें संविदा या ठहराव करने के प्रश्न पर प्रथम बार विचार किया जाता है अथवा यदि वह निदेशक या सदस्य, उस बैठक की तारीख को प्रस्तावित संविदा या ठहराव से सम्बद्ध या हितबद्ध नहीं था, तो जब वह इस प्रकार सम्बद्ध या हितबद्ध हो जाता है, उसके पश्चात, की गई, यथास्थिति, बोर्ड या कार्यपालक समिति की प्रथम बैठक में किया जाएगा।

(ख) किसी अन्य सविदा या ठहराव की दशा में अपेक्षित प्रकटन उस निदेशक या सदस्य के उस संविदा या ठहराव से सम्बद्ध या हितबद्ध हो जाने के पश्चात की गई, यथास्थिति, बोर्ड या कार्यपालक समिति की प्रथम बैठक में किया जाएगा।

(3)(क) उपविनियम (1) और (2) के प्रयोजन के लिए, किसी निदेशक या सदस्य द्वारा, यथास्थिति, बोर्ड या कार्यपालक समिति को दी गई इस प्रभाव की सूचना को कि वह किसी विनिर्दिष्ट निगमित निकाय का सदस्य है या किसी विनिर्दिष्ट फर्म का सदस्य है, और उसे किसी ऐसी संविदा या ठहराव में, जो उस निगमित निकाय या फर्म के साथ, उस सूचना की तारीख के पश्चात् किया जाए, सम्बद्ध या हितबद्ध समझा जाए, इस प्रकार की गई किसी संविदा या ठहराव के बारे में सम्बन्ध या हित का पर्याप्त प्रकटन समझा जाएगा।

(ख) बोर्ड या कार्यपालक समिति को खंड (क) के अधीन साधारण सूचना देने वाला कोई निदेशक या सदस्य उसमें दी गई विशिष्टियों में किसी परिवर्तन की सूचना यथाशीघ्र देगा।

(ग) कोई ऐसी साधारण सूचना (इसमें किसी परिवर्तन की कोई भी सूचना) तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक वह, यथास्थिति, बोर्ड या कार्यपालक समिति की बैठक में नहीं दी जाती है या सम्बन्धित निदेशक या सदस्य यह सुनिश्चित करने के लिए युक्तियुक्त कदम नहीं उठाता है कि वह उसके दिए जाने के पश्चात, यथास्थिति, बोर्ड या कार्यपालक समिति की प्रथम बैठक में लाई और पढ़ी जाती है।

(4) बोर्ड का कोई भी निदेशक और कार्यपालक समिति का कोई भी सदस्य, यथास्थिति, निदेशक या सदस्य के रूप में, लघु उद्योग बैंक द्वारा या उसके निमित्त की गई या की जाने वाली किसी संविदा या ठहराव पर विचार विमर्श में कोई भाग नहीं लेगा और उस पर मतदान नहीं करेगा, यदि वह प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: किसी भी रूप में, ऐसी संविदा या ठहराव से सम्बद्ध या हितबद्ध है और न ही उसकी उपस्थिति ऐसे विचार-विमर्श या मतदान के समय गणपूर्ति के प्रयोजन के लिए गणना में ली जाएगी तथा यदि वह अपना मत देता है तो उसका मत शून्य होगा :

परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अर्थान्तर्गत किसी पब्लिक कम्पनी, अथवा उस अधिनियम के अर्थान्तर्गत किसी प्राईवेट कम्पनी के जो ऐसी पब्लिक कम्पनी की समानुषंगी है, जिसमें निदेशक का हित एकमात्र:-

(i) (क) उसके ऐसी कम्पनी के निदेशक होने में है, और

(ख) उसमें इतनी संख्या में या इतने मूल्य के शेयर से, जो इस कारण कि उसे लघु उद्योग बैंक द्वारा ऐसा निदेशक नामनिर्देशित किया गया है, उसके एक निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए उसे अर्ह बनाने के लिए अपेक्षित है, अनधिक शेयरों के उसके धारक होने में है, या

(ii) उसके एक ऐसा सदस्य होने में है जो ऐसी कम्पनी की समादत्त शेयर पूँजी के अधिक से अधिक दो प्रतिशत को धारण करता है, साथ की गई या की जाने वाली किसी संविदा या ठहराव को लागू नहीं होगी।

7. तदर्थ समितियाँ

(1) अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन गठित कोई समिति, उसको सौंपी गई शक्तियों के प्रयोग में ऐसे साधारण या विशेष निदेशों से आबद्ध होगी, जो बोर्ड या कार्यपालक समिति समय-समय पर दे।

(2) ऐसी किसी समिति की बैठकें लघु उद्योग बैंक के प्रधान कार्यालय में या भारत में अन्य ऐसे स्थान पर जो बैठकें बुलाने की सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, समिति के अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर बुलाई जा सकेंगी। ऐसी बैठकों के लिए पर्याप्त सूचना दी जाएगी।

(3) ऐसी किसी समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों की एक-तिहाई होगी (इस एक-तिहाई में किसी भिन्न को एक में पूर्णांकित किया जाएगा)।

(4) विनियम 6 के उपबन्ध ऐसी किसी समिति के प्रत्येक सदस्य को और उसकी बैठकों को उसी रीति से लागू होंगे, जैसे वह विनियम कार्यपालक समिति के प्रत्येक सदस्य और उसकी बैठकों को लागू होता है।

परन्तु यदि ऐसे किसी सदस्य ने विनियम 6 के अधीन बोर्ड या कार्यपालक समिति को कोई सूचना दी है तो उसके लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि वह इस उप-विनियम के अनुसरण में अपने सम्बन्ध या हित का और आगे प्रकटन करे।

अध्याय - III

निदेशकों की फीस और भत्ते

8. निदेशकों और कार्यपालक समिति तथा अन्य समितियों के सदस्यों की फीस और भत्ते --

(1) अधिनियम की धारा 12 क के परन्तुक के अधीन रहते हुए --

(i) प्रत्येक निदेशक, बोर्ड की ऐसी प्रत्येक बैठक के लिए जिसमें वह उपस्थित होता है, एक हजार रुपये या ऐसी अन्य धनराशि जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, की फीस प्राप्त करने का हकदार होगा;

(ii) कार्यपालक समिति का प्रत्येक सदस्य कार्यपालक समिति की प्रत्येक उस बैठक के लिए, जिसमें वह उपस्थित होता है, पाँच सौ पचास रुपये या ऐसी अन्य धनराशि, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, की फीस प्राप्त करने का हकदार होगा;

(iii) अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन गठित किसी भी समिति का प्रत्येक सदस्य, जब तक कि उसे कोई पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत लघु उद्योग बैंक से मिलने वाले आकस्मिक पारिश्रमिक से भिन्न मानदेय भी है, प्राप्त नहीं होता है, ऐसी समिति की प्रत्येक उस बैठक के लिए जिसमें वह उपस्थित होता है, पाँच सौ रुपये या ऐसी अन्य धनराशि, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, की फीस प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) ऐसी फीस के अतिरिक्त, निदेशकों और सदस्यों को उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति ऐसे मापमानों पर की जाएगी जिनके लिए वे उन संबंधित संस्थाओं में हकदार हैं, जिनमें वे पद धारण करते हैं और किसी अन्य दशा में ऐसे मापमानों पर की जाएगी, जो केन्द्रीय सरकार के उच्चतम समूह 'क' अधिकारी को लागू हैं।

अध्याय - IV

संविदाएँ, सामान्य मुद्रा और लेखे

9. वह रीति और प्ररूप जिसमें लघु उद्योग बैंक पर आबद्धकारी संविदाएं निष्पादित की जा सकेंगी

(1) लघु उद्योग बैंक की ओर से सभी संविदाएँ लिखित रूप में की जाएंगी और उसके अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएंगी और वे उसी रीति से परिवर्तित या प्रभावोन्मुक्त की जा सकेंगी।

(2) इस विनियम के उपबन्धों के अनुसार की गई सभी संविदाएं विधिमान्य और लघु उद्योग बैंक पर आबद्धकारी होंगी।

10. लघु उद्योग बैंक के लेखे, रसीदें और दस्तावेज़ किसके द्वारा हस्ताक्षरित होंगे

लघु उद्योग बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, कार्यपालक निदेशकों, मुख्य महाप्रबन्धकों, सचिव, मुख्यलेखाकार, महाप्रबन्धकों, संयुक्त महाप्रबन्धकों, उप महाप्रबन्धकों, सहायक महाप्रबन्धकों तथा लघु उद्योग बैंक के ऐसे अधिकारियों को, जिन्हें बोर्ड इस निमित्त प्राधिकृत करे, ऐसे विस्तार तक और ऐसी परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो ऐसे प्राधिकृत करने में बोर्ड विनिर्दिष्ट या अधिरोपित करे, लघु उद्योग बैंक के लिए और उसकी ओर से वचन पत्र, स्टाक-रसीदें, स्टाक डिबेंचर, शेयर, प्रतिभूतियाँ और माल के हक दस्तावेज़ों को, जो लघु उद्योग बैंक के नाम में हैं और या उसके नाम में धारित हैं या उसके द्वारा धारित है, पृष्ठांकित और अन्तरित करने तथा लघु उद्योग बैंक के चालू और प्राधिकृत कारबार में विनिमय-पत्रों और अन्य लिखतों को लिखने, स्वीकार और पृष्ठांकित करने तथा ऐसे कारबार से सम्बन्धित अन्य सभी लेखाओं, रसीदों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए इसके द्वारा पृथकत: सशक्त किया जाता है।

11. वादपत्र आदि किसके द्वारा हस्ताक्षरित होंगे

वादपत्र, लिखित कथन, उत्तर, शिकायत, याचिका, आवेदन, शपथ पत्र, वकालतनामें और विधिक कार्यवाहियों से सम्बन्धित सभी अन्य दस्तावेज़ लघु उद्योग बैंक की ओर से ऐसे किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, सत्यापित तथा किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकेंगे जो विनियम 10 द्वारा या उसके अधीन लघु उद्योग बैंक के लिए और उसकी ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए सशक्त है।

12. डिबेंचरों का निर्गमन

(1) लघु उद्योग बैंक के डिबेंचर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशकों में से किसी एक के हस्ताक्षर से निर्गमित किए जाएंगे और ऐसा हस्ताक्षर मुद्रित, उत्कीर्ण या लिथोग्राफ या ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, जिसका बोर्ड निदेश दे, छपा हुआ हो सकेगा।

(2) इस प्रकार मुद्रित, उत्कीर्ण, लिथोग्राफ किया हुआ या अन्यथा छपा हुआ हस्ताक्षर उसी रूप में विधिमान्य होगा जैसे स्वयं हस्ताक्षरकर्ता द्वारा उसके हस्तलेख में लिखा गया हस्ताक्षर होगा।

13. सामान्य मुद्रा

लघु उद्योग बैंक की सामान्य मुद्रा, यथास्थिति, बोर्ड के या कार्यपालक समिति के संकल्प के अनुसरण में और कम से कम तीन निदेशकों की, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशकों में से कोई एक सम्मिलित होगा, जो अपनी उपस्थिति के प्रतीकस्वरूप, लिखत पर अपने नाम हस्ताक्षरित करेंगे और ये हस्ताक्षर ऐसे किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर से पृथक होंगे, जो एक साक्षी के रूप में उस लिखत पर हस्ताक्षर करे, उपस्थिति में ही किसी भी लिखत पर लगाई जाएगी, अन्यथा नहीं। जब तक कि उपर्युक्त रीति से वह हस्ताक्षरित नहीं होगी, तब तक ऐसी लिखत की कोई विधिमान्यता नहीं होगी।

14. तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा

लघु उद्योग बैंक के वार्षिक लेखे निम्नलिखित रीति में तैयार किए और दिए जाएंगे---

(i) लघु उद्योग बैंक प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को साधारण निधि का तुलन पत्र तथा उस तारीख को या ऐसी किसी तारीख को जो बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा इन विनियमों की अनुसूची-I और अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट या बोर्ड द्वारा समय-समय पर संशोधित प्रारूपों में तैयार करेगा; तथा

(ii) लघु उद्योग बैंक प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को लघु उद्योग विकास सहायता निधि का तुलन पत्र तथा उस तारीख को या ऐसी किसी तारीख को जो बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा इन विनियमों की अनुसूची-III और अनुसूची-IV में विनिर्दिष्ट या बोर्ड द्वारा समय-समय पर संशोधित प्रारूपों में तैयार करेगा।

IndiaCode

अध्याय - V

निक्षेपों तथा प्रतिभूतियों के लिए नामनिर्देशन

15. किसी प्रतिभूति के धारक की मृत्यु पर संदाय

(1) किसी प्रतिभूति के मृत एकमात्र धारक (चाहे वह हिन्दू, मुस्लिम हो, पारसी हो या अन्य कोई हो) के निष्पादक या प्रशासक या प्रतिभूति के बाबत में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के भाग X के अधीन जारी किए गए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक केवल वह व्यक्ति या वे व्यक्ति होंगे, जिन्हें उस प्रतिभूति में कोई हक़ रखने वाले व्यक्ति के रूप में लघु उद्योग बैंक द्वारा मान्यता दी जा सकेगी।

(2) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 45 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, दो या अधिक धारकों को संदेय प्रतिभूति की दशा में, उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों और, अन्तिम उत्तरजीवी की मृत्यु पर, उसके निष्पादक या प्रशासक या कोई व्यक्ति, जो ऐसी प्रतिभूति की बाबत, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक है, केवल ऐसा व्यक्ति होगा जिसे ऐसी प्रतिभूति पर हक रखने वाले व्यक्ति के रूप में लघु उद्योग बैंक द्वारा मान्यता दी जा सकेगी।

(3) लघु उद्योग बैंक ऐसे निष्पादकों या प्रशासकों को मान्यता देने के लिए तब तक आबद्ध नहीं होगा जब तक कि उन्होंने भारत में सक्षम न्यायालय या कार्यालय से, यथास्थिति, प्रोबेट या प्रशासन पत्र या अन्य विधिक प्रतिनिधित्व अभिप्राप्त न कर लिया हो।

(4) उप-विनियम (1), (2) और (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ लघु उद्योग बैंक अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, किसी भी मामले में, लघु उद्योग बैंक के लिए प्रोबेट या प्रशासन पत्र या अन्य विधिक प्रतिनिधित्व के पेश करने से, ऐसे निबन्धनों पर जिसमें क्षतिपूर्ति प्राप्त करना शामिल है, या अन्यथा जो वह ठीक समझे, छूट देना विधिपूर्ण होगा।

16. वह रीति जिसमें नामनिर्देशन और संदाय पर उन्मोचन किया जा सकेगा

(1) विनियम 15 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ कोई प्रतिभूति एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा धारित है, एकमात्र धारक या, यथास्थिति, सभी धारक मिलकर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों जिसे / जिन्हें एकमात्र धारक की मृत्यु या सभी धारकों की मृत्यु पर ऐसी प्रतिभूति पर देय रकम का संदाय किया जा सकेगा, को नाम निर्दिष्ट कर सकेंगे।

परन्तु जहाँ प्रतिभूति दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा धारित है और ऐसी प्रतिभूति के निर्गमन के निबंधनों के अन्तर्गत उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों को उस पर देय रकम का संदाय करने का उपबन्ध किया गया है, नामनिर्देशिती सभी धारकों की मृत्यु पर ही ऐसी प्रतिभूति की रकम प्राप्त करने का हकदार होगा;

परन्तु यह और कि इस विनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात किसी दावे पर प्रभाव नहीं डालेगी, जो किसी मृत धारक के किसी प्रतिनिधि का प्रतिभूति पर देय किसी रकम की बाबत नामनिर्देशिती के विरुद्ध हो।

(2) धारक के जीवन काल के दौरान एकमात्र नामनिर्देशिती की मृत्यु की तारीख से नामनिर्देशन प्रवृत्त नहीं रह जाएगा।

(3) यदि उप-विनियम (1) के अधीन दो या अधिक व्यक्ति नामनिर्दिष्ट हैं, तो प्रतिभूति पर देय रकम का वितरण नामनिर्देशितियों को उस रीति से जो नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट है और ऐसे विनिर्देश के अभाव में रकम का वितरण सभी नामनिर्देशितियों के बीच बराबर-बराबर किया जाएगा :

परन्तु यदि कोई नामनिर्देशन विद्यमान नहीं है या यदि ऐसा नामनिर्देशन देय रकम के एक भाग से संबंधित है, तो पूर्ण रकम या उसका वह भाग जिससे नामनिर्देशन संबंधित नहीं है, उन व्यक्तियों जो विनियम 15 के उप-विनियम (2) के अधीन उसके हकदार हो सकेंगे, को संदत्त किया जाएगा।

(4) जहाँ प्रथम नामित नामनिर्देशिती की धारक से पहले मृत्यु हो जाती है, और धारक ने नामनिर्देशन रद्द या प्रतिस्थापित नहीं किया है, द्वितीय नामित नामनिर्देशिती मृत धारक की प्रतिभूति की बाबत रकम प्राप्त करने का हक़दार होगा और इसी रीति से क्रमवार नामनिर्देशिती की मृत्यु पर अगला नामित नामनिर्देशिती ऐसी प्रतिभूति की बाबत रकम प्राप्त करने का हकदार होगा।

(5) उप-विनियम (1) के अधीन कोई नामनिर्देशन, यथास्थिति, एकमात्र धारक या सभी धारकों द्वारा मिलकर इस विनियमों की अनुसूची-V के प्ररूप-I में किया जा सकेगा।

(6) नामनिर्देशन केवल ऐसी प्रतिभूति की बाबत किया जा सकेगा जो धारक की व्यष्टिक हैसियत में धारित हो और उसकी बाबत नहीं जो किसी पद के धारक के रूप में या किसी प्रतिनिधिक हैसियत में या अन्यथा धारित है ।

(7) नामनिर्देशन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकरण, अपने पद के पदाभिधान से पदाभिहित किसी व्यक्ति या किसी धार्मिक या पूर्त न्यास के पक्ष में भी किया जा सकेगा।

(8) अवयस्क नामनिर्देशिती की दशा में, यथास्थिति, एकमात्र धारक या सभी धारक मिलकर नामनिर्देशिती की अवयस्कता के दौरान प्रतिभूति पर देय रकम पाने के लिए किसी व्यक्ति (जो अवयस्क न हो) को नियुक्त कर सकेंगे।

(9) जहाँ प्रतिभूति किसी अवयस्क के नाम में धारित है, वहाँ नामनिर्देशन, यदि कोई हो, उस व्यक्ति द्वारा, जो अवयस्क की ओर से कार्य करने के लिए विधिपूर्ण ढंग से हकदार हो, किया जाएगा।

(10) नामनिर्देशन लघु उद्योग बैंक को इन विनियमों की अनुसूची V के प्ररूप II में आवेदन प्रस्तुत कर प्रतिस्थापित या रद्द किया जा सकेगा।

(11) नामनिर्देशन या नामनिर्देशन के प्रतिस्थापन या रद्दकरण लघु उद्योग बैंक की बहियों में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और रजिस्ट्रीकरण का तथ्य प्रतिभूति पर लिखा जाएगा और ऐसे रजिस्ट्रीकरण पर, यथास्थिति, नामनिर्देशन, प्रतिस्थापन या रद्दकरण उस तारीख से, जिसको वह प्रस्तुत किया गया था, प्रभावी समझा जाएगा।

(12) दो या अधिक धारकों द्वारा संयुक्त रूप से धारित प्रतिभूति की दशा में नामनिर्देशन का प्रतिस्थापन या नामनिर्देशन का रद्दकरण तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक ऐसा प्रतिस्थापन या रद्दकरण सभी उत्तरजीवी धारक (धारकों) द्वारा न किया गया हो।

(13) इस विनियम के अधीन सम्यक् रूप से किए गए और रजिस्ट्रीकृत किए गए किसी नामनिर्देशन के अन्तर्गत प्रतिभूति से सम्बन्धित अधिकारों पर, जो किसी नामनिर्देशिती ने अर्जित किए हैं, प्रतिभूति की बाबत द्विप्रतिक स्क्रिप के निर्गम के कारण प्रभाव नहीं पड़ेगा और नामनिर्देशिती के ऐसी द्विप्रतिक स्क्रिप के सम्बन्ध में वही अधिकार होंगे जैसे कि उसके मूल स्क्रिप के सम्बन्ध में होते।

(14) किसी प्रतिभूति की बाबत, जिससे नामनिर्देशन संबंधित है, इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार नामनिर्देशिती को लघु उद्योग बैंक द्वारा किया गया संदाय लघु उद्योग बैंक के लिए अपने दायित्वों का पूर्ण-निर्वहन होगा।

स्पष्टीकरण

विनियम 16 तथा 17 के प्रयोजन के लिए "प्रतिभूति" से अभिप्रेत है --

(क) अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन पुरोधृत कोई डिबेंचर;

(ख) अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन स्वीकृत कोई निक्षेप; या

(ग) किसी विधि के अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत कोई अन्य निक्षेप।

अध्याय - VI

शेयर और शेयर रजिस्टर

17. शेयर जंगम सम्पत्ति है

लघु उद्योग बैंक के शेयर जंगम सम्पत्ति होंगे।

18. शेयरों और रजिस्टरों पर नियंत्रण

अधिनियम और इन विनियमों के उपबन्धों के और ऐसे निदेशों के अधीन् रहते हुए जो बोर्ड समय-समय पर दे, प्रधान कार्यालय में रखा गया रजिस्टर बोर्ड द्वारा रखा जाएगा और बोर्ड के नियंत्रण के अधीन होगा और बोर्ड का इस बारे में विनिश्चय कि क्या कोई व्यक्ति किसी शेयर की बाबत शेयरधारक के रूप में रजिस्टर किए जाने का हकदार है या नहीं, अन्तिम होगा।

परन्तु इस विनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात निक्षेपागार में धारित शेयरों पर लागू नहीं होगी। निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 11 के अधीन निक्षेपागार द्वारा रखा गया हिताधिकारी स्वामियों का रजिस्टर इस विनियम के प्रयोजन के लिए शेयरधारकों का रजिस्टर समझा जाएगा।

19. वे पक्षकार जो शेयरधारकों के रूप में रजिस्टर नहीं किए जा सकेंगे

(1) जैसा इन विनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय कोई भी अवयस्क या व्यक्ति, जो सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा विकृतचित्त पाया गया है, शेयरधारक के रूप में रजिस्टर किए जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) फर्मों की दशा में शेयर अलग-अलग भागीदारों के नामों में रजिस्टर किए जाएंगे और कोई भी फर्म उस रूप में शेयरधारक के रूप में रजिस्टर किए जाने की हकदार नहीं होगी।

20. रजिस्टर में दर्ज की जाने वाली विशिष्टियाँ

(1) अधिनियम की धारा 20 ख में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अतिरिक्त, उन दशाओं को छोड़कर, जिनमें शेयर निक्षेपागार में धारित हैं, निम्नलिखित विशिष्टियाँ रजिस्टर में दर्ज की जाएंगी, अर्थात् :--

(क) वह रीति जिसमें प्रत्येक शेयरधारक ने अपना शेयर या अपने शेयर अर्जित किए और विकास बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, साधारण बीमा निगम, जीवन बीमा निगम और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाले या उसके नियंत्रण के अधीन अन्य संस्थाओं को शेयरों के आवंटन के सिवाय पूर्व धारक का नाम और वह फोलियो जिसमें शेयर अन्तिम बार दर्ज किया गया था;

(ख) क्या शेयरधारक विकास बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, साधारण बीमा निगम, जीवन बीमा निगम और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या उसके नियंत्रण के अधीन अन्य संस्था है या विकास बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, साधारण बीमा निगम, जीवन बीमा निगम और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या उसके नियंत्रण के अधीन अन्य संस्थाओं से भिन्न शेयरधारकों के प्रवर्ग का है; और

(ग) जब कोई व्यक्ति शेयरधारक नहीं रह जाता है तब उस व्यक्ति का नाम जिसके पक्ष में शेयर अंतरित किया जाता है या किए जाते हैं।

(2) (क) विकास बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, साधारण बीमा निगम, जीवन बीमा निगम और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या उसके नियंत्रण के अधीन अन्य संस्थाओं और विकास बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, साधारण बीमा निगम, जीवन बीमा निगम और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या उसके नियंत्रण के अधीन अन्य संस्थाओं से भिन्न व्यक्तियों द्वारा धारित साधारण शेयरों, और

(ख) विकास बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, साधारण बीमा निगम, जीवन बीमा निगम और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या उसके नियंत्रण के अधीन अन्य संस्थाओं द्वारा धारित अधिमान शेयरों की बाबत एक पृथक लेजर रखा जाएगा।

(3) किसी शेयर के संयुक्त धारकों की दशा में उनके नाम और उप-विनियम (1) द्वारा अपेक्षित अन्य विशिष्टियाँ ऐसे संयुक्त शेयरधारकों में से पहले के नाम के अधीन समूहीकृत की जाएंगी।

(4) भारत के बाहर निवासी शेयरधारक लघु उद्योग बैंक को भारत में एक पता देगा और ऐसा पता रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा तथा अधिनियम और इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए उनका रजिस्ट्रीकृत पता समझा जाएगा।

(5) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 11 के अधीन किसी निक्षेपागार द्वारा रखा गया हिताधिकारियों का रजिस्टर इस विनियम के प्रयोजन के लिए शेयरधारकों का रजिस्टर समझा जाएगा।

21. संयुक्त शेयरधारकों के अधिकारों का प्रयोग

यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम में है तो रजिस्टर में प्रथम नामित व्यक्ति, मतदान, लाभांशों की प्राप्ति, सूचनाओं की तामील के बारे में तथा लघु उद्योग बैंक से संबंधित सभी अथवा किन्हीं अन्य मामलों के बारे में, शेयरों के अन्तरण को छोड़कर, उसका एकमात्र धारक समझा जाएगा।

22. रजिस्टर का निरीक्षण

(1) रजिस्टर, उस दशा को छोड़कर, जब वह विनियम 23 के अधीन बन्द रहे, उन युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो लघु उद्योग बैंक अधिरोपित करे, कामकाज घंटों के दौरान ऐसे स्थान पर जहाँ वह रखा जाता है, किसी शेयरधारक द्वारा नि:शुल्क निरीक्षण के लिए खुला रहेगा, किन्तु इस प्रकार कि प्रत्येक कार्य दिवस में कम से कम दो घंटे तक निरीक्षण की अनुज्ञा दी जाएगी।

(2) किसी शेयरधारक को रजिस्टर में से किसी प्रविष्टि की स्वयं प्रति तैयार करने का अधिकार नहीं होगा किन्तु तब के सिवाय जब रजिस्टर बन्द कर दिया जाता है रजिस्टर या उसके किसी भाग की प्रति की अपेक्षा कर सकेगा।

23. रजिस्टर को बन्द करना

लघु उद्योग बैंक, भारत में परिचालित कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा कम से कम सात दिन की पूर्वसूचना देने के पश्चात् शेयरधारकों के रजिस्टर को प्रत्येक वर्ष में कुल मिलाकर पैंतालीस दिन की किसी अवधि या अवधियों के लिए, किन्तु जो एक बार में तीस दिन से अधिक की नहीं होगी, बन्द कर सकेगा।

24. शेयर प्रमाणपत्र

(1) प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जारी किया जाएगा। प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र में सुभिन्न संख्यांक दिया जाएगा और उन शेयरों की संख्या दर्शित की जाएगी जिनकी बाबत वह जारी किया जाता है। प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र में उस शेयरधारक का नाम दिया जाएगा जिसे वह जारी किया जाता है।

(2) प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र लघु उद्योग बैंक की ओर से ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, जिन्हें बोर्ड इस निमित्त सम्यक् रूप में प्राधिकृत करे और ऐसा हस्ताक्षर मुद्रित, उत्कीर्ण, लिथोग्राफ किया हुआ या ऐसी यांत्रिक या इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया द्वारा, जिसका बोर्ड निदेश दे, छपा हुआ हो सकेगा।

(3) इस प्रकार मुद्रित, उत्कीर्ण, लिथोग्राफ किया हुआ या अन्यथा छपा हुआ हस्ताक्षर उसी प्रकार विधिमान्य होगा जैसे स्वयं हस्ताक्षरकर्ता द्वारा उसके हस्तलेख में लिखा गया हस्ताक्षर होगा।

परन्तु इस विनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी निक्षेपागार में धारित शेयरों पर लागू नहीं होगी।

25. शेयर प्रमाणपत्रों का जारी किया जाना

(1) लघु उद्योग बैंक किसी शेयरधारक को प्रमाणपत्र जारी करते समय एक बार में उसके नाम में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक पचास शेयरों या उनके गुणजों के लिए एक प्रमाणपत्र के आधार पर और उनसे अधिक किन्तु पचास से कम शेयरों की संख्या के लिए एक अतिरिक्त शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम होगा।

(2) यदि रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले शेयरों की संख्या पचास से कम है तो सभी शेयरों के लिए एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

(3) कई व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप में धारित शेयरों की दशा में, ऐसे संयुक्त धारकों में से एक को सापेक्ष प्रमाणपत्र या प्रमाणपत्रों का परिदान सभी को पर्याप्त परिदान होगा और संयुक्त धारकों में से किसी एक द्वारा हस्ताक्षरित प्राप्ति सभी संयुक्त धारकों पर प्रभावी रूप से आबद्धकर होगी।

परन्तु इस विनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी निक्षेपागार में धारित शेयरों पर लागू नहीं होगी।

26. शेयर प्रमाणपत्रों का नवीकरण

(1) यदि फटा हुआ या विरूपित कोई शेयर प्रमाणपत्र पेश किया जाता है तो बोर्ड उसे रद्द करने का आदेश दे सकेगा और उसके बदले में नया प्रमाणपत्र जारी करवा सकेगा।

(2) यदि किसी शेयर प्रमाणपत्र का खो जाना या नष्ट हो जाना अभिकथित है तो उसके खो जाने और नष्ट जो जाने के ऐसे साक्ष्य के पेश किए जाने पर, जो बोर्ड समाधानप्रद समझे और प्रतिभूति सहित या उसके बिना, जिसकी बोर्ड अपेक्षा करे, ऐसी उन्मुक्ति पर और लघु उद्योग बैंक को उसके खर्चों, प्रभारों और मामले के या उसके अनुषंगी व्यय के संदाय पर उसके बदले में एक नया प्रमाणपत्र ऐसे खो गए या नष्ट हो गए प्रमाणपत्र के लिए हकदार व्यक्ति को दिया जाएगा।

परन्तु इस विनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी निक्षेपागार में धारित शेयरों पर लागू नहीं होगी।

27. शेयरों का अन्तरण

(1) लघु उद्योग बैंक के शेयरों का प्रत्येक अन्तरण लिखित रूप में और अनुसूची-VI में यथाउपबंधित प्ररूप-क में होगा।

(2) किसी शेयर के अन्तरण की लिखत बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी और अन्तरक तथा अन्तरिती द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और अंतरक ऐसे शेयरों का तब तक धारक रहेगा जब तक अन्तरिती का नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाता है।

(3) अन्तरण रजिस्टर करने के अनुरोध के साथ बोर्ड द्वारा किसी अन्तरण लिखत की प्राप्ति पर बोर्ड जब तक कि वह अन्तरण को अधिनियम की धारा 20 घ के अधीन रजिस्टर करने से इन्कार नहीं करता है, अन्तरण को रजिस्टर करवाएगा।

परन्तु इस विनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी निक्षेपागार में धारित शेयरों पर लागू नहीं होगी। निपेक्षागार अधिनियम, 1996 की धारा 11 के अधीन किसी निक्षेपागार द्वारा रखा गया हिताधिकारी स्वामियों का रजिस्टर इस विनियम के प्रयोजन के लिए शेयरधारकों का रजिस्टर समझा जाएगा।

28. अन्तरणों को निलम्बित करने की शक्ति

बोर्ड किसी ऐसी अवधि के दौरान जिसमें रजिस्टर बन्द कर दिया जाता है अन्तरण के रजिस्ट्रीकरण का निलम्बन कर सकेगा।

29. किसी शेयरधारक की मृत्यु, दिवालियेपन आदि की दशा में शेयरों का पारेषण

(1) किसी शेयर की बाबत किसी मृत शेयरधारक के निष्पादक या प्रशासक या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग X के अधीन जारी किए गए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक ऐसे शेयर की बाबत या ऐसा व्यक्ति, जिसके पक्ष में ऐसे शेयर की विधिमान्य अन्तरण लिखत ऐसे व्यक्ति द्वारा और मृत एकमात्र धारक द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान निष्पादित की गई थी, केवल ऐसा व्यक्ति होगा जिसे लघु उद्योग बैंक द्वारा ऐसे शेयर पर कोई हक रखने वाले व्यक्ति के रूप में मान्यता दी जा सकेगी।

(2) दो या अधिक शेयरधारकों के नाम में रजिस्ट्रीकृत शेयरों की दशा में उत्तरजीवी और अन्तिम उत्तरजीवी की मृत्यु पर उसके निष्पादक या प्रशासक या कोई व्यक्ति जो शेयर में ऐसे उत्तरजीवी के हित की बाबत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक है या ऐसा व्यक्ति जिसके पक्ष में ऐसे व्यक्ति और ऐसे अन्तिम उत्तरजीवी द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान शेयर के अन्तरण की विधिमान्य लिखत निष्पादित की गई थी, केवल ऐसा व्यक्ति होगा जिसे लघु उद्योग बैंक द्वारा ऐसे शेयर पर कोई हक रखने वाले व्यक्ति के रूप में मान्यता दी जा सकेगी।

(3) लघु उद्योग बैंक ऐसे निष्पादकों या प्रशासकों को मान्यता देने के लिए तब तक आबद्ध नहीं होगा जब तक कि उन्होंने सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय से, यथास्थिति, प्रोबेट या प्रशासन पत्र या अन्य विधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त न किया हो;

परन्तु यह कि किसी मामले में जहाँ बोर्ड अपने विवेक से उचित समझे, बोर्ड के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, प्रशासन पत्रों या ऐसे अन्य विधिक प्रतिनिधित्व के पेश करने से, उन्मुक्ति के बारे में ऐसे निबन्धनों पर जैसे क्षतिपूर्ति या अन्यथा जो वह ठीक समझे, छूट देना विधिपूर्ण होगा।

(4) शेयरधारक की मृत्यु के परिणामस्वरूप किसी शेयर का हकदार हो जाने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को और दिवालियेपन, शोधन अक्षमता या शेयरधारक के समापन के परिणामस्वरूप किसी शेयर का हकदार हो जाने वाले व्यक्ति को ऐसे साक्ष्य के पेश किए जाने पर, जिसकी बोर्ड अपेक्षा करे :—

(क) ऐसे शेयर की बाबत शेयरधारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का अधिकार होगा; या

(ख) ऐसे शेयर का ऐसा अन्तरण करने का अधिकार होगा ऐसे जैसे उस व्यक्ति ने किया होता जिससे वह हक व्युत्पन्न करता है।

30. शेयरों पर कालें

बोर्ड क्रमशः शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों पर असंदत्त रह गई सभी धनराशियों की बाबत शेयरधारकों पर, जो वह ठीक समझे ऐसी कालें, और उनके आबंटन की शर्तों द्वारा नहीं, जो नियत समय पर संदेय की गई हैं, समय-समय पर कर सकेगा और प्रत्येक शेयरधारक उस पर इस प्रकार की गई प्रत्येक काल की रकम उस व्यक्ति को ऐसे समय और स्थान पर करेगा जिसे बोर्ड नियत करे। कोई काल किस्तों में संदेय बनाई जा सकती है।

31. कालों की तारीख संकल्प की तारीख से होगी.

कोई काल उस समय की गई समझी जाएगी जब ऐसी काल को प्राधिकृत करने वाला बोर्ड का संकल्प पारित किया गया था और जो रजिस्टर पर शेयरधारकों द्वारा ऐसी तारीख को या बोर्ड के विवेक पर ऐसी पश्चातवर्ती तारीख को संदेय की जा सकेगी जो बोर्ड द्वारा नियत की जाए।

32. काल की सूचना

प्रत्येक काल की कम से कम तीस दिन की सूचना संदाय का समय विनिर्दिष्ट करते हुए दी जाएगी परन्तु यह कि ऐसी काल के संदाय के लिए समय से पूर्व बोर्ड शेयरधारकों को लिखित सूचना द्वारा उसे प्रतिसंहृत कर सकेगा।

33. काल के संदाय के लिए समय का विस्तार

बोर्ड, समय-समय पर और अपने विवेक से सभी या शेयरधारकों के किसी प्रवर्ग के सम्बन्ध में किसी काल के संदाय के लिए नियत समय का उनके निवास स्थानों की दूरी या अन्य पर्याप्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, विस्तार कर सकेगा किन्तु कोई भी शेयरधारक ऐसे विस्तार के लिए साधिकार हकदार नहीं होगा।

IndiaCode

34. संयुक्त धारकों के दायित्व

किसी शेयर के संयुक्त धारक उसकी बाबत सभी कालों का संदाय करने के लिए संयुक्ततः और पृथकतः दायी होंगे।

35. कालों के रूप में नियत समय पर या किस्तों द्वारा संदेय रकम

यदि किसी शेयर के निर्गम के निबंधनों द्वारा या अन्यथा कोई रकम किसी नियत समय पर किस्तों द्वारा संदेय है तो प्रत्येक ऐसी रकम या किस्त इस प्रकार संदेय होगी मानो वह बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से की गई काल हो और जिसकी सम्यक सूचना दी गई हो और कालो की बाबत इसमें अंतर्विष्ट सभी उपबंध ऐसी रकम या किस्त से तदनुसार संबंधित होंगे।

36. काल या किस्त पर ब्याज कब संदेय होगा

यदि किसी काल या किस्त की बाबत संदेय कोई राशि उसके संदाय के लिए नियत दिन को या उससे पूर्व संदत्त नहीं की जाती है तो उस शेयर का, जिसकी बाबत काल की गई होती या किस्त शोध्य होती, तत्समय धारक या आवंटिती ऐसी राशि पर ऐसी दर पर ब्याज का, जो बोर्ड समय-समय पर नियत करे, संदाय, उसके संदाय के लिए नियत दिन से वास्तविक संदाय के समय तक करेगा किन्तु बोर्ड ऐसे ब्याज के संदाय का पूर्णतया या भागतः अधित्यजन कर सकेगा।

37. शेयरधारक द्वारा कालों का असंदाय

कोई भी शेयरधारक कोई लाभांश प्राप्त करने या शेयरधारक के रूप में किसी विशेषाधिकार का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक उसने तत्समय शोध्य और उसके द्वारा चाहे एकल रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से धारित प्रत्येक शेयर पर सभी कालों का ब्याज और व्यय सहित, यदि कोई हो, संदाय न कर दिया हो।

38. यदि काल या किस्त का संदाय नहीं किया जाता तो अनिवार्य रूप से सूचना दी जाएगी

यदि कोई शेयरधारक किन्हीं शेयरों की बाबत, चाहे मूलधन के रूप में या ब्याज के रूप में उसके संदाय के लिए नियत दिन को या उसके पूर्व शोध्य किसी पूर्ण काल या उसके किसी भाग या किस्त या देय किसी धनराशि का संदाय करने में असफल रहता है तो बोर्ड उसके पश्चात् किसी समय, ऐसे समय के दौरान जिसमें काल या ब्याज या उसका कोई भाग या अन्य धनराशियां असंदत्त रहती हैं या उनकी बाबत कोई निर्णय या डिक्री पूर्णतः या भागतः अतुष्ट रहती है, ऐसे शेयरधारक या परेषण द्वारा शेयर के हकदार व्यक्ति पर (यदि कोई हो), ऐसी काल या किस्त या उसके ऐसे भाग का या अन्य धनराशियों का जो असंदत्त रहती है, किसी ब्याज सहित जो प्रोद्भूत हो गया हो और सभी व्यय (विधिक या अन्यथा) जो ऐसे असंदाय के कारण लघु उद्योग बैंक द्वारा संदत्त या प्रोद्भूत किया गया हो, संदाय करने की अपेक्षा करने वाली सूचना की तामील कर सकेगा।

39. सूचना का प्ररूप

सूचना में एक दिन, जो सूचना की तामील से चौदह दिन से कम का नहीं होगा और वह स्थान या वे स्थान जहां और जिन पर ऐसी काल या किस्त या ऐसे भाग का या अन्य धनराशियों और ऐसे ब्याज और उपर्युक्त व्यय का संदाय किया जाना है, दर्शित किया जाएगा। सूचना में यह भी कथन होगा कि नियत समय पर या उसके पूर्व या स्थान पर असंदाय की दशा में वह शेयर जिसकी बाबत काल की गई थी या किस्त संदेय है समपहृत किया जा सकेगा।

40. संदाय में व्यतिक्रम होने पर शेयर समपहृत किए जाएंगे

उपर्युक्त ऐसी सूचना की किन्हीं अपेक्षाओं का पालन नहीं किया जाता है तो कोई शेयर, जिनकी बाबत ऐसी सूचना दी गई है सभी कालों या किस्तों, ब्याज और व्यय या उनकी बाबत शोध्य धनराशि के संदाय के पूर्व बोर्ड के उस प्रभाव के संकल्प द्वारा समपहृत किए जा सकेंगे। ऐसे समपहरण के अन्तर्गत समपहृत शेयरों की बाबत घोषित और समपहरण के पूर्व वास्तव में असंदत्त सभी लाभांश होंगे।

41. रजिस्टर में समपहरण की प्रविष्टि

जब विनियम 40 के अधीन किसी शेयर का समपहरण किया गया हो तब उसकी तारीख सहित समपहरण की प्रविष्टि रजिस्टर में की जाएगी।

42. समपहृत शेयर लघु उद्योग बैंक की सम्पत्ति होंगे और उनका विक्रय किया जा सकेगा

इस प्रकार समपहृत कोई शेयर लघु उद्योग बैंक की सम्पत्ति समझा जाएगा और उसका विक्रय, पुनरावंटन या अन्यथा व्ययन या तो उसके मूल धारक या किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसे निबंधनों पर और ऐसी रीति से किया जा सकेगा जिसका बोर्ड विनिश्चय करे।

43. समपहरण को निष्प्रभावी करने की शक्ति

बोर्ड विनियम 40 के अधीन इस प्रकार समपहृत किसी शेयर का विक्रय, पुनरावंटन या अन्यथा व्ययन के पूर्व किसी समय उसके समपहरण को, ऐसी शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, निष्प्रभावी कर सकेगा।

44. शेयरधारक समपहरण के समय देय धनराशि और ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा

कोई शेयरधारक जिसके शेयर समपहृत कर लिए गए हैं समपहरण के होते हुए भी सभी कालों, किस्तों, ब्याज, व्यय और समपहरण के समय ऐसे शेयरों पर या की बाबत देय अन्य धनराशियों का, उन पर समपहरण के समय से संदाय तक ऐसी दर पर ब्याज सहित, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, लघु उद्योग बैंक को संदाय करने के लिये दायी होगा और उसे तुरन्त संदाय करेगा और बोर्ड पूरे या उसके भाग के संदाय को प्रवर्तित कर सकेगा।

45. आंशिक संदाय समपहरण का प्रवारण नहीं करेगा

किन्हीं शेयरों की बाबत शोध्य कालों या अन्य धनराशियों के लिए लघु उद्योग बैंक के पक्ष में कोई भी निर्णय या डिक्री और न ही उसके अधीन कोई संदाय या तुष्टि, न ही लघु उद्योग बैंक द्वारा किसी धनराशि के भाग की प्राप्ति जो किन्हीं शेयरों की बाबत चाहे मूलधन के रूप में या ब्याज के रूप में किसी शेयरधारक से समय-समय पर शोध्य हो, न ही किसी धनराशि के संदाय की बाबत लघु उद्योग बैंक द्वारा दिखाई गई कोई उदारता, इन विनियमों के अधीन ऐसे शेयरों के समपहरण को प्रवारित करेगी।

46. समपहरण उपबंधों का लागू होना

समपहरण के बारे में इन विनियमों के उपबंध किसी राशि के, जो किसी शेयर के निर्गम के निबंधनों द्वारा नियत समय को संदेय हो जाती है, असंदाय की दशा में ऐसे लागू होंगे मानों वह सम्यक् रूप से की गई काल के आधार पर संदेय रही थी।

47. लघु उद्योग बैंक का शेयरों पर धारणाधिकार

लघु उद्योग बैंक का, भागतः समादत्त शेयरों की दशा में काल की गई या ऐसे शेयरों की बाबत नियत समय पर संदेय सभी धनराशियों के लिए प्रथम और सर्वोपरि धारणाधिकार होगा। किसी ऐसे धारणाधिकार का, ऐसे शेयरों की बाबत समय-समय पर घोषित सभी लाभांशों पर विस्तार होगा।

48. शेयरों के विक्रय द्वारा धारणाधिकार को प्रवर्तित कराना

बोर्ड विनियम 47 में निर्दिष्ट धारणाधिकार को प्रवर्तित कराने के प्रयोजन के लिए उसके अधीन रहते हुए शेयरों का ऐसी रीति से विक्रय कर सकेगा, जो वह ठीक समझे, किन्तु कोई भी विक्रय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई राशि जिसकी बाबत धारणाधिकार विद्यमान है, उस समय संदेय न हो, न ही तब जब तक विक्रय करने के आशय की लिखित सूचना की, ऐसे शेयरधारक या शेयरों के पारेषण के लिए हकदार व्यक्ति पर, यदि कोई हो, तामील न की गई हो और उस समय संदेय राशि के संदाय में ऐसी सूचना के पश्चात सात दिन के लिए उसके द्वारा व्यतिक्रम न किया गया हो।

49. शेयरों के विक्रय के आगमों का उपयोजन

विनियम 48 के अधीन शेयरों के किसी विक्रय के आगम ऐसे विक्रय के खर्चों की कटौती करने के पश्चात ऋण या दायित्व की, जिसकी बाबत, जहां तक वह उस समय संदेय है, धारणाधिकार विद्यमान है, तुष्टि में या के लिए उपयोजित किए जाएंगे और शेष का, यदि कोई हो, शेयरधारकों या इस प्रकार विक्रय किए गए शेयरों के पारेषण द्वारा हकदार व्यक्ति को, यदि कोई हो, संदाय किया जाएगा।

50. समपहरण का प्रमाणपत्र

किसी निदेशक या लघु उद्योग बैंक के इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा लिखित यह प्रमाणपत्र कि किसी शेयर की बाबत काल की गयी थी और शेयर का समपहरण बोर्ड के उस प्रभाव के संकल्प द्वारा किया गया था, ऐसे शेयरों के हकदार सभी व्यक्तियों के विरुद्ध उसमें कथित तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगा।

51. समपहृत शेयर के क्रेता और आवंटिती का हक

लघु उद्योग बैंक, किसी विक्रय, पुनरावंटन या उसके अन्य व्ययन पर किसी शेयर के लिए दिए गए प्रतिफल को, यदि कोई हो, प्राप्त कर सकेगा और वह व्यक्ति जिसको ऐसे शेयर का विक्रय, पुनरावंटन या व्ययन किया जाता है शेयर के धारक के रूप में रजिस्टर किया जा सकेगा और शेयर का धारक प्रतिफल के, यदि कोई हो, उपयोजन को देखने के लिए बाध्य नहीं होगा, न ही शेयर पर उसके हक पर शेयर के समपहरण, विक्रय, पुनरावंटन या अन्य व्ययन के सन्दर्भ में कार्यवाहियों में किसी अनियमितता या अवैधता द्वारा कोई प्रभाव पड़ेगा और विक्रय से व्यथित किसी व्यक्ति का उपचार केवल नुकसानी में और अनन्य रूप से लघु उद्योग बैंक के विरुद्ध होगा।

52. शेयरधारकों पर सूचना और दस्तावेज की तामील

(1) लघु उद्योग बैंक, किसी भी शेयरधारक पर व्यक्तिगत रूप में या उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर या यदि उसका भारत में कोई रजिस्ट्रीकृत पता नहीं है तो उसे सूचना देने के लिए लघु उद्योग बैंक को उसके द्वारा दिए गए भारत के पते पर, यदि कोई हो, डाक द्वारा किसी सूचना या दस्तावेज की तामील कर सकेगा।

(2) जहाँ किसी दस्तावेज या सूचना को डाक द्वारा भेजा गया है, वहां ऐसी दस्तावेज या सूचना की तामील के बारे में यह समझा जाएगा कि वह किसी पत्र पर, जिसमें दस्तावेज या सूचना अन्तर्विष्ट हो, समुचित रूप में पता लिख कर, उसका पूर्व संदाय करके और उसे डाक में डाल कर की गई है।

परन्तु जहाँ किसी शेयरधारक ने पहले ही से लघु उद्योग बैंक को यह सूचित कर दिया है कि दस्तावेज उसे डाक में डाले जाने के प्रमाणपत्र के अधीन या रसीदी या बेरसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा, भेजा जाए और उसने ऐसा करने के व्यय को चुकाने के लिए लघु उद्योग बैंक के पास पर्याप्त राशि जमा करा दी है, वहां दस्तावेज या सूचना की तामील तब की गई समझी जाएगी जब वह शेयरधारक द्वारा सूचित की गई रीति में भेजी गई हो, और जब तक प्रतिकूल साबित न किया जाए ऐसी तामील किसी बैठक की सूचना की दशा में उस पत्र के, जिसमें वह अन्तर्विष्ट है, डाक में डाले जाने के पश्चात अड़तालीस घंटे की समाप्ति पर, और किसी अन्य दशा में उस समय पर की गई समझी जाएगी जब पत्र डाक के साधारण अनुक्रम में परिदत्त किया गया होता।

(3) भारत में व्यापक रूप से परिचालित किसी समाचार पत्र में विज्ञापित किसी सूचना या दस्तावेज के बारे में यह समझा जाएगा कि उसकी सम्यक रूप में तामील लघु उद्योग बैंक के ऐसे प्रत्येक शेयरधारक पर, जिसका भारत में कोई रजिस्टीकृत पता नहीं है और जिसने उसे सूचना देने के लिए भारत का कोई पता लघु उद्योग बैंक को नहीं दिया है, उस दिन की गई समझी जाएगी जिस दिन विज्ञापन प्रकाशित होता है।

(4) लघु उद्योग बैंक किसी शेयर के संयुक्त धारक पर किसी सूचना या दस्तावेज की तामील शेयर की बाबत रजिस्टर में प्रथम नामित संयुक्त शेयरधारक पर तामील करके कर सकेगा।

(5) लघु उद्योग बैंक किसी शेयरधारक की मृत्यु पर या उसके दिवालियेपन के परिणामस्वरूप शेयर के हकदार व्यक्तियों पर सूचना या दस्तावेज की तामील, नाम से, या मृतक के प्रतिनिधियों या दिवालिये के समनुदेशितियों के अभिनाम से या वैसे ही किसी वर्णन से, इस प्रकार हकदार होने का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा इस प्रयोजन के लिए दिए गए भारत में किसी पते पर, यदि कोई हो, उनको सम्बोधित ऐसा पत्र, जिसका डाक महसूल दे दिया गया है, डाक द्वारा या जब तक ऐसा पता इस प्रकार नहीं दिया गया हो, दस्तावेज की तामील किसी ऐसी रीति में करके जिस रीति में यह तब तामील की गई होती जब मृत्यु या दिवालियापन नहीं हुआ होता, कर सकेगा।

India Code

अध्याय - VII

शेयरधारकों की बैठकें

53. साधारण बैठक बुलाने की सूचना

(1) शेयरधारकों की साधारण बैठक बुलाने की सूचना, जिस पर लघु उद्योग बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक या किसी एक पूर्णकालिक निदेशक के हस्ताक्षर होंगे, बैठक के कम से कम पूरे इक्कीस दिन पहले भारत में व्यापक रूप में परिचालित कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में, प्रकाशित की जाएगी।

(2) प्रत्येक ऐसी सूचना में ऐसी बैठक का समय, तारीख और स्थान और वह कारबार भी कथित होगा जो उस बैठक में किया जाएगा।

54. असामान्य साधारण बैठक

(1) लघु उद्योग बैंक का अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक या उसकी अनुपस्थिति में कोई एक पूर्णकालिक निदेशक शेयरधारकों की असामान्य साधारण बैठक तब बुलाएगा जब बोर्ड द्वारा इस प्रकार निदेशित किया गया हो या यदि ऐसी बैठक के लिए अध्यपेक्षा ऐसे अन्य शेयरधारकों से प्राप्त हो गई हो जो उन शेयरों को धारण किए हुए हैं जिनके कुल मताधिकार सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार का कम से कम बीस प्रतिशत हैं।

(2) उपविनियम (1) में निर्दिष्ट अध्यपेक्षा में वह प्रयोजन कथित होगा जिसके लिए असामान्य साधारण बैठक बुलाई जानी अपेक्षित है किन्तु उसमें वैसे ही रूप में कई दस्तावेज़ होंगे और प्रत्येक दस्तावेज़ पर एक या अधिक अध्यपेक्षाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए होंगे।

(3) जहां दो या अधिक व्यक्ति संयुक्ततः किन्हीं शेयरों को धारण करते हों, वहां इस विनियम के प्रयोजनों के लिए बैठक बुलाने की अध्यपेक्षा या सूचना का, जिस पर उनमें से एक या कुछ व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए हों, वही बल और प्रभाव होगा मानों उस पर उन सभी ने हस्ताक्षर किए हों।

(4) असामान्य साधारण बैठक का समय, तारीख और स्थान बोर्ड द्वारा नियत किया जाएगा :

परन्तु शेयरधारकों की अध्यपेक्षा पर बुलाई जाने वाली असामान्य साधारण बैठक अध्यपेक्षा प्राप्त होने के तीन मास के अपश्चात् नहीं बुलाई जाएगी।

(5) यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक या कोई एक पूर्णकालिक निदेशक उपविनियम (1) द्वारा अपेक्षित बैठक उप विनियम (4) के परन्तुक में नियत अवधि के भीतर नहीं बुलाता है तो बैठक स्वयं अध्यपेक्षाकर्ताओं द्वारा अगले तीन मास में बुलायी जा सकेगी :

परन्तु इस उपविनियम की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह उपर्युक्त तीन मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व सम्यक् रूप से प्रारम्भ की गयी बैठक को उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात किसी दिन के लिए स्थगित करने में निवारित करती है।

(6) अध्यपेक्षाकर्ताओं द्वारा उप विनियम (5) के अधीन बुलाई जाने वाली बैठक, यथासम्भव निकटतम रूप में, उसी रीति में बुलाई जाएगी जिसमें अन्य साधारण बैठकें बुलाई जाती हैं।

(7) उप-विनियम (5) के अधीन बैठक बुलाने में अध्यपेक्षाकर्ताओं द्वारा उपगत किसी भी युक्तियुक्त व्यय की प्रतिपूर्ति लघु उद्योग बैंक द्वारा अध्यपेक्षाकर्ताओं को की जाएगी।

55. साधारण बैठकों में कारबार

(1) अधिनियम की धारा 20 छ में जैसा विनिर्दिष्ट है उससे भिन्न कोई भी कारबार वार्षिक साधारण बैठक में बैठक के अध्यक्ष की सहमति से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) बैठक के अध्यक्ष की सहमति के बिना कोई भी कारबार किसी असामान्य साधारण बैठक में उस कारबार के सिवाय, जिसके लिए बैठक बुलाई गई है, नहीं किया जाएगा या उस पर विचार-विमर्श नहीं किया जाएगा।

56. साधारण बैठकों में गणपूर्ति

(1) शेयरधारकों की किसी बैठक में, चाहे वह वार्षिक साधारण बैठक हो या असामान्य साधारण बैठक हो, कोई कारबार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे कारबार के प्रारम्भ होने पर कम से कम दो शेयरधारकों या पुरोधृत ईक्विटी शेयर पूँजी का कम से कम 20% धारित करने वाले शेयरधारक(कों), जिन्हें उस बैठक में व्यक्तिगत रूप में या प्राक्सी द्वारा या सम्यक् रूप में प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मत देने का अधिकार हो, की गणपूर्ति उपस्थित न हो।

इसमें ऊपर उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, जब तक सम्पूर्ण पुरोधृत ईक्विटी शेयर पूँजी विकास बैंक द्वारा धारित है, शेयरधारकों की किसी बैठक के लिए, चाहे वह वार्षिक साधारण बैठक हो या असामान्य साधारण बैठक हो, गणपूर्ति एक शेयरधारक होगी।

(2) यदि बैठक करने के लिए नियत समय से आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति उपस्थित नहीं है तो शेयरधारकों की अध्यपेक्षा पर बुलाई गई बैठक विघटित हो जाएगी।

(3) अन्य किसी दशा में बैठक अगले सप्ताह उसी दिन, उसी समय और स्थान पर या ऐसे अन्य दिन और ऐसे अन्य समय और स्थान पर के लिए स्थगित हो जाएगी जैसा बैठक का अध्यक्ष अवधारित करे। यदि स्थगित बैठक करने के लिए नियत समय में आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति नहीं होती है तो गणपूर्ति ऐसे शेयरधारकों से होगी जो ऐसी स्थगित बैठक में व्यक्तिगत रूप में या प्राक्सी द्वारा या सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित हैं और वे वह कारबार कर सकेंगे जिसके लिए बैठक बुलाई गई थी :

परन्तु कोई भी वार्षिक साधारण बैठक उस तारीख से, जिसके भीतर अधिनियम की धारा 20 च के निबंधनों के अनुसार ऐसी वार्षिक साधारण बैठक की जाएगी, बाद की तारीख को स्थगित नहीं की जाएगी और यदि आगामी सप्ताह में उसी दिन बैठक स्थगित करने का यह प्रभाव होता है तो वार्षिक साधारण बैठक स्थगित नहीं की जाएगी; किन्तु बैठक का कारबार बैठक के लिए नियत समय से एक घंटे के भीतर, यदि गणपूर्ति हो गई हो या उस समय से एक घंटे की समाप्ति के ठीक पश्चात प्रारम्भ किया जाएगा और वे शेयरधारक, जो ऐसे समय पर व्यक्तिगत रूप से या प्राक्सी द्वारा या सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित हैं, गणपूर्ति करेंगें।

57. साधारण बैठकों का अध्यक्ष

(1) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक या उसकी अनुपस्थिति में निदेशकों में से ऐसा कोई एक निदेशक, जिसे अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा सामान्यतया या किसी विशिष्ट बैठक के संबंध में इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, बैठक का अध्यक्ष होगा और यदि अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक या इस निमित्त प्राधिकृत निदेशक उपस्थित नहीं है तो बैठक में उपस्थित किसी अन्य निदेशक को बैठक का अध्यक्ष होने के लिए निर्वाचित किया जाएगा।

(2) साधारण बैठक का अध्यक्ष सभी साधारण बैठकों में प्रक्रिया विनियमित करेगा और उसे विशिष्ट रूप में वह क्रम विनिश्चित करने की, जिसमें शेयरधारक बैठक को सम्बोधित कर सकेंगे, भाषणों के लिए समय-सीमा नियत करने की, कार्यवाही तब समाप्त करने की, जब उसकी राय में किसी विषय पर सन्तोषप्रद रूप से विचार-विमर्श कर लिया गया है, और बैठक स्थगित करने की शक्ति होगी।

58. साधारण बैठकों में हाजिर होने के हकदार व्यक्ति

(1) लघु उद्योग बैंक के सभी निदेशक और शेयरधारक, उपविनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, साधारण बैठक में हाजिर होने के हकदार होंगे।

(2) किसी ऐसे शेयरधारक से (जो विकास बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, साधारण बीमा निगम, जीवन बीमा निगम और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में अन्य संस्थाएँ नहीं हैं) या किसी निदेशक से जो साधारण बैठक में हाजिर हो रहा है, जिसकी पहचान के प्रयोजन के लिए और उसका मताधिकार अवधारित करने के लिए, लघु उद्योग बैंक को एक ऐसा प्ररूप हस्ताक्षर करके परिदत्त करने की अपेक्षा की जाएगी जिसमें निम्नलिखित से संबंधित विशिष्टियाँ हों :--

(क) उसका पूरा नाम और रजिस्ट्रीकृत पता;
(ख) उसके शेयरों के सुभिन्न संख्यांक;
(ग) क्या वह मतदान करने का हकदार है और उन मतों की संख्या जिनके लिए वह स्वयं या प्राक्सी या सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में हकदार है।

59. साधारण बैठकों में मतदान

(1) किसी साधारण बैठक में मतदान के लिए रखे गए संकल्प का जब तक कि मतदान की मांग नहीं की जाती है, विनिश्चय हाथ उठाकर किया जाएगा।

(2) जैसा अधिनियम में अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय किसी साधारण बैठक में प्रस्तुत किया गया प्रत्येक मामला बहुमत से विनिश्चित किया जाएगा।

(3) जब तक कि उपविनियम (1) के अधीन मतदान की मांग नहीं की जाती है बैठक के अध्यक्ष की यह घोषणा कि हाथ उठाकर किया गया संकल्प या तो सर्वसम्मति से या विशिष्ट बहुसंख्या द्वारा पारित कर दिया गया है या नहीं कर दिया गया है और कार्यवाहियों के कार्यवृत्त को अंतर्विष्ट करने वाली पुस्तकों में उस प्रभाव की प्रविष्टि ऐसे संकल्प के पक्ष में या उसके विरुद्ध डाले गए मतों की संख्या या अनुपात के सबूत के बिना उस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी।

(4) किसी संकल्प पर हाथ उठाकर किए गए मतदान के परिणाम की घोषणा के पूर्व या घोषणा हो जाने पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा स्वप्रेरणा से मतदान करने का आदेश किया जाएगा और स्वयं या प्राक्सी द्वारा उपस्थित तथा लघु उद्योग बैंक में शेयर, जो संकल्प पर मतदान करने की शक्ति प्रदान करते हैं जो संकल्प की बाबत कुल मतदान शक्ति के एक बटा पाँच से कम नहीं है, धारण करने वाले किसी शेयरधारक या शेयरधारकों द्वारा उस निमित्त की गई मांग पर मतदान किए जाने का उसके द्वारा आदेश किया जाएगा।

(5) मतदान के लिए की गई मांग उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों द्वारा किसी समय वापस ली जा सकेगी जिसने या जिन्होंने मांग की थी।

(6) स्थगन के प्रश्न या बैठक के अध्यक्ष के निर्वाचन पर मांगा गया मतदान तुरन्त किया जाएगा।

(7) किसी अन्य प्रश्न पर मांगा गया मतदान ऐसे समय पर किया जाएगा जो उस समय से अड़तालीस घंटे के पश्चात् का नहीं होगा जब मांग की गई थी, जैसा भी बैठक का अध्यक्ष निर्दिष्ट करे।

(8) मतदान करने के लिए किसी व्यक्ति की अर्हता के बारे में और मतदान करने के बारे में, उन मतों की संख्या के बारे में जो कोई व्यक्ति प्रयोग करने के लिए सक्षम है, बैठक के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

IndiaCode

60. साधारण बैठकों के कार्यवृत्त

(1) लघु उद्योग बैंक सभी कार्यवाहियों के कार्यवृत्त उस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तकों में रखवाएगा जो खुले पन्नों वाली जिल्दों के रूप में हो सकेंगी।

(2) कोई ऐसे कार्यवृत्त, जिनका उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा जिसमें कार्यवाहियां की गई थीं या ठीक बाद की बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना तात्पर्यित है, उसमें की गई कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे।

(3) जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए उन कार्यवाहियों की बाबत, जिनके कार्यवृत्त इस प्रकार तैयार किए गए हैं, प्रत्येक साधारण बैठक सम्यक् रूप से बुलाई और की गई समझी जाएगी और उसमें की गई सभी कार्यवाहियाँ सम्यक् रूप से की गई समझी जाएंगी।

अध्याय - VIII

शेयरधारकों के मतदान अधिकार

61. मतदान अधिकारों का अवधारण

(1) अधिनियम की धारा 20 (छ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए --

(क) हाथ उठाकर मतदान करने के लिए हकदार और स्वयं या अटर्नी अथवा प्राक्सी द्वारा उपस्थित प्रत्येक शेयरधारक का एक मत होगा।

(ख) मतदान में प्रत्येक शेयरधारक का, जो व्यष्टि होते हुए स्वयं या अटर्नी अथवा प्राक्सी द्वारा उपस्थित है या विकास बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, साधारण बीमा निगम, जीवन बीमा निगम और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाले या नियत्रण में अन्य संस्था या कोई अन्य निगमित निकाय होते हुए किसी प्रतिनिधि की मार्फत उपस्थित है, लघु उद्योग बैंक की समादत्त ईक्विटी पूँजी में उसके भाग के अनुपात में मतदान अधिकार होगा।

(2) किसी साधारण बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार लघु उद्योग बैंक के कोई शेयरधारक किसी अन्य व्यक्ति को (चाहे शेयरधारक हो या नहीं) अपने बजाए उपस्थित होने और मतदान करने के लिए अपने प्राक्सी के रूप में नियुक्त करने का हकदार होगा; किन्तु इस प्रकार नियुक्त प्राक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(3) प्राक्सी के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति किसी मतदान में मत देने का हकदार होगा।

62. सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

(1) कोई शेयरधारक, जो विकास बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, साधारण बीमा निगम, जीवन बीमा निगम और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाले या नियंत्रण में अन्य संस्था या कोई अन्य निगमित निकाय है, अपने किसी पदधारी या अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की किसी साधारण बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति (जिसे इन विनियमों में "सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि" कहा गया है) उन्हीं अधिकारों का, जिनके अन्तर्गत प्राक्सी द्वारा मतदान करने का अधिकार विकास बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, साधारण बीमा निगम, जीवन बीमा निगम और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाले या नियंत्रण में अन्य संस्था या किसी अन्य ऐसे निगमित निकाय की ओर से शक्तियां है, प्रयोग करने के लिए हकदार होगा मानो वह लघु उद्योग बैंक का व्यष्टिक शेयरधारक हो।

(2) कोई भी व्यक्ति लघु उद्योग बैंक के शेयरधारकों की किसी बैठक में विकास बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, साधारण बीमा निगम, जीवन बीमा निगम और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाले या नियंत्रण में अन्य संस्थाओं को छोड़कर किसी निगमित निकाय के सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित और मतदान करने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि उसे सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की एक प्रति जो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित हो जिसमें यह पारित किया गया था, बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम पूरे चार दिन पूर्व लघु उद्योग बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा न कर दी गई हो।

स्पष्टीकरण -- इस विनियम के प्रयोजन के लिए किसी निगमित निकाय के अन्तर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या सोसाइटियों

रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी भी है।

63. प्राक्सी

(1) प्राक्सी की कोई भी लिखत तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक कि व्यष्टिक शेयरधारक की दशा में यह उसके द्वारा या लिखित रूप में सम्यक् रूप से प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो या संयुक्त शेयरधारकों की दशा में यह रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक या लिखित रूप में सम्यक् रूप से प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है या निगमित निकाय की दशा में यह उसकी सामान्य मुद्रा के अधीन, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं की गई या लिखित रूप में सम्यक् रूप से प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है :

परन्तु प्राक्सी की लिखत किसी ऐसे शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित की जाएगी जो किसी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ है यदि उसकी अंगूठा छाप उस पर लगी हुई है और किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, हस्तांतरण पत्रों के रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या लघु उद्योग बैंक के किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित है।

(2) कोई भी प्राक्सी तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक कि वह सम्यक् रूप से स्टांपित नहीं है और उसकी एक प्रति बैठक के लिए नियत तारीख से पूरे चार दिन पूर्व उस मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) के साथ, जिसके अधीन वह हस्ताक्षरित की गई है या किसी नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित उस मुख्तारनामा या प्राधिकार की प्रति लघु उद्योग बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं कर दी गई है जब तक कि ऐसा मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार पहले ही लघु उद्योग बैंक के पास जमा और रजिस्टर नहीं कर दिया गया है।

(3) प्राक्सी की कोई भी लिखत तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक कि वह अनुसूची-VI में उपबंधित प्ररूप ख में नहीं है।

(4) लघु उद्योग बैंक के पास जमा की गई प्राक्सी की लिखत अप्रतिसंहरणीय होगी जब तक कि :

(क) प्राक्सी के जमा करने की अन्तिम तारीख को या उससे पूर्व अनुदाता के हस्ताक्षर या सामान्य मुद्रा के अधीन एक लिखित सूचना लघु उद्योग बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं कर दी गई है जिसमें :--

(i) उस व्यक्ति का नाम कथित होगा जिसके पक्ष में लिखत दी गई थी; और

(ii) यह कथित होगा कि ऐसी लिखत प्रतिसंहृत की गई है; या

(ख) यह कथित होगा कि वह उप-विनियम (6) के अधीन अविधिमान्य समझी जाती है।

(5) अनुकल्पत: दो प्राप्तिकर्ताओं के पक्ष में दी गई प्राक्सी की लिखत की दशा में प्रतिसंहरण की सूचना में दूसरे या अनुकल्पि प्राप्तिकर्ता का नाम वर्णित करना आवश्यक नहीं होगा परन्तु यह तब जब सूचना उस प्राक्सी की लिखत की जिसको प्रतिसंहृत करने का आशय है संदेह से परे पहचान करने में अन्यथा पर्याप्त है।

(6) यदि उन्हीं शेयरों की बाबत दो या अधिक प्राक्सी की लिखतें जमा की जाती हैं और यदि प्राक्सियों के जमा करने के लिए अन्तिम दिन को या उससे पूर्व ऐसी प्राक्सियों में से एक को छोड़कर सभी प्राक्सियाँ उप-विनियम (4) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार सम्यक् रूप से प्रतिसंहृत न कर दी गई हों तो सभी ऐसी प्राक्सी की लिखतें अविधिमान्य समझी जाएंगी।

(7) प्राक्सी की लिखत का प्रतिसंहरण उप विनियम (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर एक अन्य विधिमान्य प्राक्सी की लिखत को जमा करने को प्रतिषिद्ध नहीं करेगा।

(8) किसी प्राक्सी की लिखित का, जो इस विनियम के अधीन अप्रतिसंहरणीय हो गई है, अनुदाता उस बैठक में जिससे ऐसी लिखत संबंधित है, स्वयं मतदान करने के लिए हकदार नहीं होगा।

(9) कोई भी व्यक्ति जो लघु उद्योग बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्राक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(10) इस विनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात विकास बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, साधारण बीमा निगम, जीवन बीमा निगम और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में अन्य संस्थाओं को लागू नहीं होगी और विकास बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, साधारण बीमा निगम, जीवन बीमा निगम और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में अन्य संस्थाएँ ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह लघु उद्योग बैंक की किसी साधारण बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए ठीक समझे, नियुक्त कर सकेगी। इस प्रकार नियुक्त कोई व्यक्ति बैठकों के प्रयोजन के लिए लघु उद्योग बैंक का शेयरधारक समझा जाएगा और उन्हीं अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विकास बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, साधारण बीमा निगम, जीवन बीमा निगम और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में अन्य संस्था बैठक में प्रयोग करने के लिए हकदार होगी।

अध्याय - IX

निदेशकों का निर्वाचन

64. निदेशकों का नामनिर्देशन

(1) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन निदेशकों का नामनिर्देशन विकास बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, साधारण बीमा निगम, जीवन बीमा निगम तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में अन्य संस्थाओं में से प्रथम तीन शेयरधारकों द्वारा जो अधिकतम संख्या में साधारण शेयरों के धारक हैं, किया जाएगा।

(2) साधारण शेयरों की बराबर अधिकतम संख्या धारित करने वाले शेयरधारकों की संख्या तीन से अधिक होने की दशा में, तीन निदेशकों का नामनिर्देशन ऐसे शेयरधारकों द्वारा उनके बीच सहमति द्वारा किया जाएगा और ऐसी सहमति के अभाव में लाट निकालने के द्वारा किया जाएगा ।

(3) साधारण शेयरों की बराबर द्वितीय अधिकतम संख्या धारित करने वाले शेयरधारकों की संख्या दो से अधिक होने की दशा में, दो निदेशकों का नामनिर्देशन ऐसे शेयरधारकों द्वारा उनके बीच सहमति द्वारा किया जाएगा और ऐसी सहमति के अभाव में लाट निकालने के द्वारा किया जाएगा ।

(4) साधारण शेयरों की बराबर तृतीय अधिकतम संख्या धारित करने वाले शेयरधारकों की संख्या एक से अधिक होने की दशा में, एक निदेशक का नामनिर्देशन ऐसे शेयरधारकों द्वारा उनके बीच सहमति द्वारा किया जाएगा और ऐसी सहमति के अभाव में लाट निकालने के द्वारा किया जाएगा ।

(5) इस विनियम के उप-विनियम (1) से (4) तक में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई शेयरधारक एक से अधिक निदेशक के नामनिर्देशन के लिए हक़दार नहीं होगा।

IndiaCode

65. निदेशक साधारण बैठकों में निर्वाचित किए जाएंगे

(1) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन निर्वाचित किया जाने वाला निदेशक लघु उद्योग बैंक की वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा।

(2) निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या और विशिष्ट रिक्तियाँ जिनकी बाबत निर्वाचन किया जाना है वार्षिक साधारण बैठक बुलाने वाली सूचना में विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

66. निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का नामनिर्देशन

(1) निदेशक के रूप में निर्वाचन के लिए कोई भी उम्मीदवार विधिमान्य रूप से तब तक नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि :--

(क) वह नामनिर्देशन की प्राप्ति के लिए अन्तिम तारीख को अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन निदेशक होने के लिए निरर्हित नहीं है,

(ख) नामनिर्देशन लिखित रूप में नहीं है और अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन निदेशकों का नामनिर्देशन करने के हकदार कम से कम दो शेयरधारकों द्वारा या उनके सम्यक् रूप से गठित अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है परन्तु यह कि उस शेयरधारक द्वारा, जो निगमित निकाय है, नामनिर्देशन उक्त निगमित निकाय के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया जा सकेगा और जहां वह ऐसे किया जाता है वहां संकल्प की एक प्रति जो उस बैठक के, जिसमें वह पारित किया गया था, अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सही प्रति के रूप में लघु उद्योग बैंक के प्रधान कार्यालय को भेजी जाएगी और ऐसी प्रति ऐसे निगमित निकाय की ओर से नामनिर्देशन समझी जाएगी।

(ग) नाम निर्देशन के साथ या उसमें किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, हस्तांतरण पत्रों के रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या लघु उद्योग बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित यह घोषणा नहीं है कि वह नामनिर्देशन को स्वीकार करता है और निर्वाचित किए जाने के लिए खड़ा होने के लिए रजामंद है और कि वह अधिनियम की धारा 8 के अधीन निर्वाचित किए जाने के लिए निरर्हित नहीं है।

(2) कोई भी नामनिर्देशन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि वह सभी पहलुओं से पूर्ण नहीं है और लघु उद्योग बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम चौदह पूरे दिन पूर्व किसी कार्य-दिवस को प्राप्त नहीं किया जाता है।

67. नामनिर्देशनों की संवीक्षा

(1) नामनिर्देशनों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख से अगले प्रथम कार्य दिवस को नामनिर्देशनों की संवीक्षा की जाएगी और यदि कोई नामनिर्देशन विधिमान्य नहीं पाया जाता है तो वह उसके लिए कारण लेखबद्ध करने के पश्चात नामंजूर कर दिया जाएगा। यदि निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली किसी विशिष्ट रिक्ति के लिए केवल एक विधिमान्य नामनिर्देशन है तो इस प्रकार नामनिर्दिष्ट उम्मीदवार तुरन्त निर्वाचित किया गया समझा जाएगा और उसका नाम तथा पता इस प्रकार निर्वाचित किए गए स्वरूप में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी दशा में उस प्रयोजन के लिए बुलाई गई बैठक में कोई निर्वाचन नहीं होगा और यदि बैठक केवल उपर्युक्त निर्वाचन के लिए बुलाई गई थी तो वह रद्द हो जाएगी।

(2) किसी विद्यमान रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित किसी निदेशक द्वारा उस तारीख से, जिसको वह निर्वाचित किया जाता है या किया गया समझा जाता है, अगली तारीख को पदभार सम्भाला गया समझा जाएगा।

68. निर्वाचन विवाद

(1) यदि निर्वाचित समझे गए या घोषित किए गए व्यक्ति की अर्हता या निरर्हता के बारे में या किसी निदेशक के निर्वाचन की विधिमान्यता के बारे में कोई संदेह या विवाद खड़ा होता है तो कोई हितबद्ध व्यक्ति जो उम्मीदवार या ऐसे निर्वाचन में मतदान करने के लिए हकदार शेयरधारक है ऐसे निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख से सात दिन के भीतर उसकी लिखित सूचना लघु उद्योग बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को दे सकेगा और उक्त सूचना में उन आधारों की, जिन पर वह निर्वाचन की विधिमान्यता पर संदेह या विवाद करता है, पूर्ण विशिष्टियां देगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन किसी सूचना की प्राप्ति पर लघु उद्योग बैंक का अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक ऐसे संदेह या विवाद को किसी समिति के, जिसमें वह और अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ग) और (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट निदेशकों में से कोई दो होंगे, विनिश्चय के लिए तुरन्त निर्दिष्ट करेगा।

(3) उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट समिति ऐसी जांच करेगी जो वह ठीक समझती है और यदि उसका निष्कर्ष है कि निर्वाचन विधिमान्य निर्वाचन था तो वह निर्वाचन के घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी या यदि उसका यह निष्कर्ष है कि निर्वाचन विधिमान्य निर्वाचन नहीं था तो वह जांच के प्रारम्भ होने से तीस दिन के भीतर ऐसा आदेश करेगी और ऐसे निदेश देगी जिनके अन्तर्गत नए निर्वाचन कराना है, जो उन परिस्थितियों में समिति को न्यायसंगत प्रतीत हों।

(4) इस विनियम के अनुसरण में ऐसी समिति का कोई आदेश या निदेश निश्चायक होगा।

69. निदेशक को हटाना

निदेशक को, जिसका हटाया जाना अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (8) के अधीन में चाहा गया है ऐसे हटाए जाने के विरुद्ध लघु उद्योग बैंक को लिखित अभ्यावेदन (जो युक्तियुक्त लम्बाई से अधिक न हो) करने का अवसर दिया जाएगा और ऐसा अभ्यावेदन यदि वह निदेशक ऐसा अनुरोध करता है तो विकास बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, साधारण बीमा निगम, जीवन बीमा निगम और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में अन्य संस्थाओं से भिन्न शेयरधारकों के बीच परिचालित किया जाएगा या अनुकल्पत: यदि वह निदेशक इस प्रकार अनुरोध करता है तो भारत में परिचालित किसी समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और यदि अभ्यावेदन का ऐसा परिचालन या प्रकाशन समय के अभाव के कारण सम्भव नहीं है तो उसे बैठक में पढ़ा जाएगा।

70. सहयोजित निदेशकों की निवृत्ति

अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1 के खंड (च) के अधीन, बोर्ड द्वारा सहयोजित निदेशक, विकास बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, साधारण बीमा निगम, जीवन बीमा निगम और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में अन्य संस्थाओं को छोड़कर अन्य शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशक या निदेशकों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर सहयोजन के क्रम में निवृत्त होंगे। एक से अधिक निदेशकों का सहयोजन एक ही दिन किए जाने की दशा में, ऐसे सहयोजित निदेशक (निदेशकों) की निवृत्ति, यथास्थिति, अवरोही क्रम या प्रथम लिखित नाम के क्रम (क्षैतिज क्रम में लिखे नामों की दशा में), जैसा ऐसा निदेशकों के सहयोजन के लिए बोर्ड द्वारा पारित संकल्प में दिया गया हो, के आधार पर होगी।

साधारण निधि

अनुसूची - I

[विनियम 14 (i) देखें]

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

..... का तुलन-पत्र

पूर्व वर्ष(रुपये)	दायित्व	इस वर्ष(रुपये)

1. शेयर पूँजी:

प्राधिकृत

पुरोधृत और समादत्त

2. आरक्षितियां, निधियां और अधिशेष

(i) आरक्षित निधि

(ii) अन्य निधियां

(iii) आरक्षितियां

घटाएं : *लाभ और हानि लेखा में नामे अतिशेष, यदि कोई हो*

(iv) अधिशेष

3. उपहार, अनुदान, संदान और दान

(i) सरकार से

(ii) अन्य स्रोतों से

4. बंधपत्र और डिबेंचर

5. निक्षेप

6. उधारराशियाँ

(i) भारतीय रिजर्व बैंक से

(क) स्टॉक, निधियों और अन्य न्यासी प्रतिभूतियों पर प्रतिभूत

(ख) विनिमय पत्रों या वचनपत्रों पर प्रतिभूत

(ग) राष्ट्रीय औद्योगिक प्रत्यय (दीर्घावधि परिचालन) निधि में से

(ii) भारत सरकार से

(क) ब्याजमुक्त ऋण

(ख) अन्य ऋण

(iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से

(iv) अन्य स्रोतों से

(v) विदेशी मुद्रा में

7. चालू दायित्व और उपबंध

समाश्रित दायित्व

(i) बैंक पर किए गए दावे जो ऋणों के रूप में स्वीकृत नहीं हैं

(ii) दी गई प्रत्याभूति / साख पत्र के कारण

(iii) हामीदारी प्रतिबद्धताओं के कारण

(iv) अंशत: संदत्त शेयरों, डिबेंचरों आदि पर मांगी न गई राशियों के कारण

(v) अन्य धनराशियां जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से दायी है

IndiaCode

अनुसूची - I (जारी)

पूर्व वर्ष (रुपये)	आस्तियां	इस वर्ष (रुपये)

1. नकदी और बैंक अतिशेष

(i) हाथ में नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष

(ii) भारत में अन्य बैंकों में अतिशेष

(क) चालू खाते में

(ख) निक्षेप खाते में

(iii) भारत के बाहर अन्य बैंकों में अतिशेष

(क) चालू खाते में

(ख) निक्षेप खाते में

2. विनिधान

(i) केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में

(ii) वित्तीय संस्थाओं के स्टॉक, शेयरों, बंधपत्रों और डिबेंचरों में

(iii) औद्योगिक समुत्थानों के स्टॉक, शेयरों, बंधपत्रों और डिबेंचरों में

(iv) अन्य

3. ऋण और अग्रिम राशियाँ

(i) बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को

(ii) औद्योगिक समुत्थानों को

(iii) अन्य

4. मितिकाटे पर भुनाए गए या मितिकाटे पर पुनः भुनाए गए विनिमय पत्र और वचनपत्र

5. परिसर (लागत में से मूल्यह्रास घटाकर)

6. अन्य स्थिर आस्तियाँ (लागत में से मूल्यह्रास घटाकर)

7. अन्य आस्तियां

IndiaCode

साधारण निधि

अनुसूची - II

[विनियम 14(i) देखें]

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

..... को समाप्त हुए वर्ष का लाभ-हानि लेखा

पूर्व वर्ष (रुपये)	व्यय	इस वर्ष (रुपये)
	1. निक्षेपों, उधारों आदि पर संदत्त ब्याज	
	2. स्थापन व्यय	
	3. निदेशकों और कार्यपालक समिति के सदस्यों की फीस और व्यय	
	4. लेखा परीक्षकों की फीस	
	5. किराया, कर, बीमा, प्रकाश व्यवस्था आदि	
	6. विधि प्रभार	
	7. डाक महसूल, तार और टिकट	
	8. लेखन-सामग्री, मुद्रण, विज्ञापन आदि	
	9. मूल्यह्रास / क्रामिक अपाकरण	
	10. पट्टे पर आस्तियों पर मूल्यह्रास	
	11. विनिधानों के विक्रय पर शुद्ध हानि (जिसे आरक्षितियों में या किसी विशिष्ट निधि या खाते में नामे नहीं डाला गया है)	
	12. अन्य व्यय	
	13. वर्ष का अग्रेनीत लाभ	
	14. वर्ष की अग्रेनीत हानि	
	15. गत वर्ष से लाया गया हानि - अतिशेष	
	16. विनियोग	
	17. तुलन-पत्र में ले जाया गया लाभ अतिशेष	

IndiaCode

अनुसूची - II (जारी)

पूर्व वर्ष (रुपये)	आय	इस वर्ष (रुपये)
	(वर्ष के दौरान डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए किए गए उपबंध और अन्य आवश्यक और समीचीन उपबंधों को घटाइए)	
	1. ब्याज और मितिकाटा आदि	
	2. विनिधानों से आय	
	3. कमीशन, दलाली आदि	
	4. विनिधानों के विक्रय से शुद्ध लाभ (जो आरक्षित निधि या किसी विशिष्ट निधि या खाते में जमा नहीं किया गया है)	
	5. अन्य आय	
	6. वर्ष के लिए हानि	
	7. वर्ष का अग्रेनीत लाभ	
	8. गत वर्ष से अग्रेनीत लाभ - अतिशेष	
	9. तुलन पत्र में ले जायी गयी हानि - अतिशेष	

IndiaCode

लघु उद्योग विकास सहायता निधि

अनुसूची - III

[विनियम 14 (ii) देखें]

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

..... का तुलन-पत्र

पूर्व वर्ष (रुपये)	दायित्व	इस वर्ष (रुपये)
	1. आरक्षितियां और निधियां	
	(i) आरक्षित निधि	
	(ii) अन्य निधियां	
	(iii) आरक्षितियां	
	2. उपहार, अनुदान, संदान और दान	
	(i) सरकार से	
	(ii) अन्य स्रोतों से	
	3. बंधपत्र और डिबेंचर	
	4. निक्षेप	
	5. उधारराशियाँ	
	(i) भारत सरकार से	
	(ii) अन्य स्रोतों से	
	6. चालू दायित्व और उपबंध	
	7. लाभ और हानि लेखा	
	पिछले तुलन पत्र से अतिशेष	
	उपाबद्ध लेखे से अंतरित लाभ / हानि	
	समाश्रित दायित्व	
	(i) बैंक पर किए गए दावे जो ऋणों के रूप में स्वीकृत नहीं हैं	
	(ii) दी गई प्रत्याभूति, साख पत्र के कारण	
	(iii) हामीदारी प्रतिबद्धताओं के कारण	
	(iv) अंशत: संदत्त शेयरों, डिबेंचरों आदि पर मांगी न गई राशियों के कारण	
	(v) अन्य धनराशियां जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से दायी है	

IndiaCode

अनुसूची - III (जारी)

पूर्व वर्ष (रुपये)	आस्तियां	इस वर्ष (रुपये)

1. नकदी और बैंक अतिशेष

(i) हाथ में नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष

(ii) भारत में अन्य बैंकों में अतिशेष

(क) चालू खाते में

(ख) निक्षेप खाते में

(iii) भारत के बाहर अन्य बैंकों में अतिशेष

(क) चालू खाते में

(ख) निक्षेप खाते में

2. विनिधान

(i) केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में

(ii) वित्तीय संस्थाओं के स्टॉक, शेयरों, बंधपत्रों और डिबेंचरों में

(iii) औद्योगिक समुत्थानों के स्टॉक, शेयरों, बंधपत्रों और डिबेंचरों में

(iv) अन्य

3. ऋण और अग्रिम राशियाँ

4. मितिकाटे पर भुनाए गए या मितिकाटे पर पुन: भुनाए गए विनिमय पत्र और वचनपत्र

5. अन्य आस्तियाँ

6. लाभ और हानि लेखा

पिछले तुलन पत्र से अतिशेष

उपाबद्ध लेखे से अंतरित लाभ / हानि

लघु उद्योग विकास सहायता निधि

अनुसूची - IV

[विनियम 14(ii) देखें]

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

..... को समाप्त हुए वर्ष का लाभ-हानि लेखा

पूर्व वर्ष (रुपये)	व्यय	इस वर्ष (रुपये)

1. निक्षेपों, उधारों आदि पर संदत्त ब्याज

2. स्थापन व्यय

India Code

3. लेखा परीक्षकों की फीस

4. किराया, कर, बीमा, प्रकाश व्यवस्था आदि

5. विधि प्रभार

6. डाक महसूल, तार और टिकट

7. लेखन-सामग्री, मुद्रण, विज्ञापन आदि

8. विनिधानों के विक्रय पर शुद्ध हानि (जिसे आरक्षितियों में या किसी विशिष्ट निधि या खाते में नामे नहीं डाला गया है)

9. अन्य व्यय

10. तुलन-पत्र में ले जाया गया लाभ अतिशेष

IndiaCode

अनुसूची - IV (जारी)

पूर्व वर्ष (रुपये)	आय	इस वर्ष (रुपये)

(वर्ष के दौरान डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए किए गए उपबंध और अन्य आवश्यक और समीचीन उपबंधों को घटाइए)

1. ब्याज और मितिकाटा

2. विनिधानों से आय

3. कमीशन, दलाली आदि

4. विनिधानों के विक्रय से शुद्ध लाभ (जो आरक्षित निधि या किसी विशिष्ट निधि या खाते में जमा नहीं किया गया है)

5. अन्य आय

6 तुलन-पत्र में ले जाई गई हानि अतिशेष

अनुसूची - V

[विनियम 16 देखें]

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

प्ररूप-I

नामनिर्देशन / नामनिर्देशन के प्रतिस्थापन का प्ररूप

1. मैं / हम निम्नलिखित व्यक्ति (व्यक्तियों) को
(धारक / धारकों का / के नाम)
नामनिर्दिष्ट करता हूँ/ करते हैं जिसे/ जिनको मेरी / हमारी / अवयस्क धारक की मृत्यु हो जाने की दशा में नीचे विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों पर शोध्य रकम संदत्त की जाए ----

क्रम सं.	वर्णन	सुभिन्न संख्यांक	निर्गमन की तारीख	अंकित मूल्य
1.				
2.				

नामनिर्देशिती

क्रम सं.	नाम	पता	जन्म तिथि (यदि नामनिर्देशिती अवयस्क है)	संदेय रकम का प्रतिशत@
1.				
2.				

2. *ऊपर क्रम सं. पर नामनिर्देशिती अवयस्क है / हैं इसलिए मैं, श्री / श्रीमती / कुमारी..... को मेरी / हमारी /
(नाम और पूरा पता)
अवयस्क धारक की ऐसे नामनिर्देशिती / नाम-निर्देशितियों / की अवयस्कता के दौरान मृत्यु हो जाने की दशा में प्रतिभूतियों पर शोध्य रकम को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रूप में नियुक्त करता हूँ / करते हैं।

**यह नामनिर्देशन मेरे / हमारे द्वारा तारीख को किए गए नामनिर्देशन के प्रतिस्थापन में है जो लघु उद्योग बैंक की बहियों में को रजिस्ट्रीकृत है / पूर्ववर्ती नामनिर्देशन इस नामनिर्देशन के रजिस्ट्रीकरण पर रद्द हो जाएगा।

***(धारक के हस्ताक्षर)

स्थान :
तारीख :

IndiaCode

साक्षियों के हस्ताक्षर और पते

1.

2.

@इस स्तम्भ में प्रत्येक नामनिर्देशिती को संदेय कुल रकम का प्रतिशत लिखें ।

*इस पैरा को तब काट दें जब नामनिर्देशन किसी अवयस्क के पक्ष में नहीं है।

**इस पैरा को तब काट दें जब नामनिर्देशन पहले किए गए नामनिर्देशन के प्रतिस्थापन में नहीं है।

***यदि प्रतिभूति किसी अवयस्क के काम में धारित है तो नामनिर्देशन पर अवयस्क की ओर से कार्य करने के लिए विधिपूर्वक हकदार व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

प्ररूप - II

नामनिर्देशन के रद्दकरण का प्ररूप

मैं / हम मेरे / हमारे द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की बाबत
(धारक / धारकों का / के नाम)

तारीख को किए गए और को रजिस्ट्रीकृत नामनिर्देशन को इसके द्वारा रद्द करता हूँ / करते हैं।

क्रम सं.	वर्णन	सुभिन्न संख्यांक	निर्गमन की तारीख	अंकित मूल्य
1.				
2.				
3.				

स्थान :
तारीख :

*(धारक के हस्ताक्षर)

.....
(धारक का नाम)

साक्षियों के हस्ताक्षर और पते

1.

2.

*यदि प्रतिभूति किसी अवयस्क के नाम में धारित है तो नामनिर्देशन के रद्दकरण पर अवयस्क की ओर से कार्य करने के लिए विधिपूर्वक हकदार व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए।

IndiaCode

अनुसूची -VI

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

प्ररूप-क

शेयर अंतरण प्ररूप

[विनियम 27 का उप-विनियम (1) देखें]

नीचे कथित प्रतिफल के लिए नामित "अंतरक" नामित "अंतरिती" (अंतरितियों) को नीचे विनिर्दिष्ट शेयरों का इसके द्वारा अंतरण उन शर्तों के अधीन रहते हुए करते हैं, जिन पर उक्त शेयर अंतरक (अंतरकों) द्वारा अवधारित हैं, और अंतरिती उक्त शेयरों को उपर्युक्त शर्तों के अधीन रहते हुए स्वीकार करने और धारण करने का इसके द्वारा करार करते हैं।

उस मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज का नाम, जहां कारबार किया जाता है, यदि कोई हो ..

साधारण शेयरों का वर्णन

अंकों में संख्या	शब्दों में संख्या	प्रतिफल (अंकों में)	प्रतिफल (शब्दों में)
सुभिन्न संख्यांक	से तक		

तत्स्थानी प्रमाणपत्र संख्या अंतरक (अंतरकों) [विक्रेता (विक्रेताओं)] की विशिष्टियां

रजिस्ट्रीकृत फोलियों सं.

हस्ताक्षर

पूरा नाम

1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.

अनुप्रमाणन

मैं इसमें वर्णित अंतरक (अंतरकों) के हस्ताक्षर को इसके द्वारा अनुप्रमाणित करता हूं

साक्षी के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

नाम

पता / मुद्रा पिन

साक्षी का नाम और पता

.....

.....

IndiaCode

अतरिती (अतरितियों)

	(क्रेता / क्रेताओं) की विशिष्टियां	हस्ताक्षर
पूरा नाम	1.	1.
	2.	2.
	3.	3.

उपजीविका	पता	पिता / पति का नाम
1.		
2.		
3.		

अंतरिती (अंतरितियों) का विद्यमान फोलियो,
यदि कोई हो, नामों के उसी क्रम में

लगाई गई स्टांपों का मूल्य
..... रुपये

तारीख माह दो हजार
स्थान

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

..... द्वारा जांच की गई
..... द्वारा हस्ताक्षर मिलान किए गए

फोलियो

अंतरिती (अंतरितियों) के नमूना हस्ताक्षर 1.
2.

अंतरण संख्या पर
रजिस्टर में दर्ज किया गया
अनुमोदन की तारीख

IndiaCode

अनुप्रमाणन के लिए अनुदेश

अनुप्रमाणन, जहां अपेक्षित हो (अंगूठा छाप, चिह्न, हस्ताक्षर भिन्नता आदि) किसी मैजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक या विशेष कार्यपालक मैजिस्ट्रेट या लोक पद धारण करने वाले और अपने पद की मुद्रा का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत तत्समान प्राधिकारी या किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के किसी सदस्य द्वारा जिसकी मार्फत शेयर सम्मिलित किए जाते हैं या अंतरक के बैंक के प्रबन्धक द्वारा किया जाना चाहिए।

टिप्पण : नामों की, अधिमानत: सीधी पंक्ति में रबड़ की मुहर लगानी चाहिए। वर्णक्रम बनाए रखना चाहिए। जब परिदान किसी निकासी सदस्य बैंक द्वारा किया जाता है तब दलाल का निकासी संख्यांक कथित करना चाहिए।

परिदान करने वाले दलाल का नाम या निकासी संख्यांक	तारीख	मुख्तारनामा प्रोबेट	मृत्यु प्रमाणपत्र

प्रशासन पत्र

.....

कम्पनी के पास रजिस्ट्रीकृत

संख्या तारीख

दलाल, बैंक, कम्पनी या स्टाक एक्सचेंज समाशोधन गृह के हस्ताक्षर

(आद्यक्षर नहीं)

IndiaCode

..... द्वारा प्रस्तुत

पूरा पता

शेयर प्रमाणपत्र

(वह नाम और पता भरें जिस पर प्रमाणपत्र वापस किए जाने अपेक्षित हैं) को वापस किया जाएगा।

नाम और पता : ----------

.....

(शेयर अंतरण स्टाम्प)

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

प्ररूप - ख

प्राक्सी का प्ररूप

[विनियम 63 का उप-विनियम (3) देखें]

.. राज्य मे जिले में का/ के निवासी मैं / हम लघु उद्योग बैंक का / के शेयरधारक होते हुए राज्य मे जिले मे के निवासी श्री को और उसके असफल रहने पर राज्य में जिले मे के निवासी श्री को को होने वाली और उसके किसी स्थगन पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के शेयरधारकों की बैठक में मेरी / हमारी ओर से मतदान करने के लिए इसके द्वारा अपना प्रॉक्सी नियुक्त करता हूँ / करते हैं।

तारीख को द्वारा हस्ताक्षरित

IndiaCode

(एस.एस.कोहली)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रमाणित किया जाता है कि लघु उद्योग बैंक के निदेशकों के बोर्ड ने दिनांक 04 अक्तूबर, 2000 को अपनी बैठक में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक साधारण विनियम 2000 को अनुमोदित एवं अंगीकृत किया गया।

[विज्ञापन/III/IV/असा./139/2000]

एस. सी. गर्ग, महाप्रबन्धक (विधि)

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2000

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

General Regulations, 2000

F. No. LD 63/Legal.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 52 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989) and in supersession of the Small Industries Development Bank of India (General Regulations, 1990) except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Board makes the following regulations, namely:--

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement:

(1) These Regulations may be called Small Industries Development Bank of India [General Regulations], 2000

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions

In these regulations, unless the context otherwise requires, :-

(a) "The Act" means the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989);

(b) "Beneficial owner" means the beneficial owner as defined under clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the Depositories Act, 1996.

(c) "Depository" shall mean a depository as defined under clause (e) of sub-section (1) of section 2 of the Depositories Act, 1996.

(d) "Form" means a form appended to these regulations;

(f) "member" means a member of Executive Committee constituted under sub-section (1) of section 12 of the Act, or as the case may be, any other committee constituted under sub-section (3) of section 12 of the Act;

(g) "register" means the register of share-holders kept in one or more books of the Small Industries Bank and includes the register of Share-holders kept in Computer floppies, diskettes, compact disk or in any other electronic form under section 20 B of the Act, as also

IndiaCode

the register of beneficial owners maintained by a depository under section 11 of the Depositories Act, 1996;

(h) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II
MEETINGS OF BOARD AND EXECUTIVE COMMITTEE

3. Meetings of the Board:--

(1) Meetings of the Board shall be convened by the chairman and managing director or in his absence, by any one of the whole-time directors or in their absence by an executive director or chief general manager nominated by chairman and managing director in this behalf.

(2) Any four directors may require the chairman and managing director or in his absence, any one of the whole-time directors nominated by chairman and managing director to convene a meeting of the Board at any time and he shall forthwith convene a meeting accordingly.

(3) Meetings of the Board shall be held at the head office of the Small Industries Bank, or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting.

(4) Not less than ten days notice shall ordinarily be given of each meeting of the Board and such notice shall be sent to every director at his usual address in India. Should it be found necessary to convene an emergency meeting, sufficient notice shall be given to every director to enable him to attend.

(5) No business other than that for which the meeting was convened shall be discussed at a meeting of the Board, except with the consent of the person presiding at the meeting and a majority of the directors present, unless one clear week's notice has been given of the same in writing to the chairman and managing director.

(6) Quorum for the transaction of business at a meeting of the Board shall be one-third of the total number of persons for the time being constituting the Board (any fraction contained in that one-third being rounded off as one).

(7) A resolution in writing circulated to all the directors at their usual addresses in India and approved and signed by a majority of such directors who are then in India, one of whom shall be chairman and managing director or any one of the whole-time directors, shall be valid and effectual and shall be deemed to be the resolution passed by the Board on the date on which it is concurred and signed by the last signatory to the resolution:

Provided that if any dissenting director requires in writing that any resolution so passed shall be placed before a meeting of the Board, the resolution shall not be deemed to be valid and effectual as aforesaid, unless the same is passed at such meeting.

IndiaCode

(8) A copy of the proceedings of each meeting of the Board shall be circulated as soon as possible thereafter for the information of the directors and shall be signed by the person presiding at that or the next succeeding meeting.

4. Powers of the Executive Committee :-

(1) The Executive Committee shall have full powers, subject to the provisions of section 34 of the Act, to transact all the usual business of the Small Industries Bank except in such matters as are specifically reserved to the Board under the Act or any regulations made thereunder.

(2) In the exercise of its powers, the Executive Committee shall be bound by such general or special directions as the Board may give from time to time.

5. Meetings of the Executive Committee :-

(1) Meeting of the Executive Committee may be convened by chairman and managing director or in his absence by one of the whole-time directors, from time to time, at the head office of the Small Industries Bank, or at such other place in India as may be specified in the notice convening the meetings. Sufficient notice shall be given for such meetings.

(2) Quorum for the transaction of business at a meeting of the Executive Committee shall be one-third of the total strength of the Executive Committee (any fraction contained in that one third being rounded off as one).

(3) Save as otherwise provided in this regulation, the provisions of the Act and of these regulations shall apply to meetings of the Executive Committee as if they were meetings of the Board.

IndiaCode

6. No director or member to deal with matters with which he is personally concerned :-

(1) Every director of the Board and every member of the Executive Committee who is in any way, whether directly or indirectly, concerned or interested in a contract or arrangement or proposed contract or arrangement entered into or to be entered into, by or on behalf of the Small Industries Bank shall disclose the nature of his concern or interest at a meeting of the Board or the Executive Committee, as the case may be :

Provided that it shall not be necessary for a director or member to disclose his concern or interest in any such contract or arrangement proposed to be entered into with a company or a foreign company within the meaning of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), where the concern or interest consists only in his holding either singly or together with any other director or directors of the Board or any other member or members of Executive Committee, in the aggregate not more than two percent of the paid-up share capital in such company.

(2) (a) In the case of a proposed contract or arrangement, the disclosure required to be made by a director of the Board or member of the Executive Committee under sub-regulation (1) shall be made at the meeting of the Board or the Executive Committee, as the case may be, at which the question of entering into contract or arrangement is first taken into consideration, or if the director or member, was not, at the date of that meeting concerned or interested in the proposed contract or arrangement, at the first meeting of the Board or the Executive Committee, as the case may be, held after he becomes so concerned or interested.

(b) In the case of any other contract or arrangement, the required disclosure shall be made at the first meeting of the Board or the Executive Committee, as the case may be, held after the director or member becomes concerned or interested in the contract or arrangement.

(3) (a) For the purpose of sub-regulations (1) and (2) a general notice given by a director or a member, to the Board or to the Executive Committee, as the case may be, to the effect that he is a director or a member of a specified body corporate or is a member of a specified firm and is to be regarded as concerned or interested in any contract or arrangement which may after the date of the notice, be entered into with that body corporate or firm, shall be deemed to be a sufficient disclosure of concern or interest in relation to any contract or arrangement so made.

(b) A director or a member giving a general notice to the Board or Executive Committee under clause (a) shall as soon as possible give notice of any change in the particulars contained therein.

(c) No such general notice, (no notice of any change therein), be of effect unless either it is given at a meeting of the Board or the Executive Committee, as the case may be, or the director or member concerned, takes

reasonable steps to secure that it is brought upon and read at the first meeting of the Board or the Executive Committee as the case may be, after it is given.

(4) No director of the Board and no member of the Executive Committee, shall, as a director or member, as the case may be, take any part in the discussion of, or vote on, any contract or arrangement entered into or to be entered into by or on behalf of the Small Industries Bank, if he is in any way, whether directly or indirectly, concerned or interested in such contract or arrangement, nor shall his presence count for the purpose of forming a quorum at the time of such discussion or vote; and if he does vote, his vote shall be void:

Provided that nothing herein contained shall apply to any contract or arrangement entered into or to be entered into with a public company within the meaning of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or a private company within the meaning of that Act, which is a subsidiary of any such public company in which the interest of the director consists solely :--

(i) in his being :--

(a) a director of such company and

(b) the holder of not more than shares of such number of value therein as is requisite to qualify him for appointment as a director thereof, he having been nominated as such director by the Small Industries Bank, or

(ii) in his being a member holding not more than two percent, of the paid-up share capital of such company.

7. Ad-hoc committees:--

(1) Any committee constituted under sub-section (3) of section 12 of the Act shall, in the exercise of the powers entrusted to it; be bound by such general or special directions as the Board or the Executive Committee may give from time to time.

(2) Meetings of any such committee may be convened by the chairman of the committee from time to time at the head office of the Small Industries Bank, or at such other place in India as may be specified in the notice convening the meetings. Sufficient notice shall be given for such meetings.

(3) The quorum for the meeting of any such committee shall be one third of its strength (any fraction contained in that one-third being rounded off as one).

(4) The provisions of regulation 6 shall apply to every member and to meetings of any such committee in the same manner as that regulation applies to every member and to meetings of the Executive Committee:

Provided that if any such member has given any notice under regulation 6 to the Board or the Executive Committee, it shall not be necessary for him to further disclose his concern or interest in pursuance of this sub-regulation.

CHAPTER III

FEES AND ALLOWANCES OF DIRECTORS

8. Fees and allowances of directors and members of the Executive Committee and other committees :-

(1) Subject to the proviso to Section 12 A of the Act-

(i) Every director shall be entitled to receive a fee of rupees one thousand or such other amount as may be specified by the Board for every meeting of the Board which he attends;

(ii) Every member of the Executive Committee shall be entitled to receive a fee of rupees five hundred or such other amount as may be specified by the Board for every meeting of the Executive Committee which he attends;

(iii) Every member of any committee constituted under sub-section (3) of section 12 of the Act shall, unless he is in receipt of any remuneration, including honorarium other than casual remuneration from the Small Industries Bank be entitled to receive a fee of rupees five hundred or such other amount as may be specified by the Board for each meeting of such committee, which he attends.

(2) In addition to such fee, directors and members shall be reimbursed their travelling expenses on such scales as they are entitled to in the respective institutions in which they hold office and in any other case, on such scales as are applicable to the highest Group 'A' officer of the Central Government.

IndiaCode

CHAPTER IV
CONTRACTS, COMMON SEAL AND ACCOUNTS

9. Manner and form in which contracts binding on the Small Industries Bank may be executed:-

(1) Contracts on behalf of the Small Industries Bank shall be made in writing signed by any person acting under its authority, express or implied and may in the same manner be varied or discharged.

(2) All contracts made according to the provisions of this regulation shall be valid and binding on the Small Industries Bank.

10. Accounts, receipts and documents of the Small Industries Bank by whom to be signed :-

The chairman and managing director, the whole-time directors, the executive directors, the chief general managers, the secretary, chief accountant, the general managers, the joint general manager, the deputy general managers, the assistant general managers and such officers of the Small Industries Bank as the Board may authorise in this behalf to such extent and subject to such limitations, if any, as the Board may specify or impose in so authorising, are hereby severally empowered for and on behalf of the Small Industries Bank to endorse and transfer promissory notes, stock-receipts, stocks, debentures, shares, securities and documents of title to goods, standing in the name of or held in the name of or held by the Small Industries Bank, and to draw, accept and endorse bills of exchange and other instruments in the current and authorised business of the Small Industries Bank and to sign all other accounts, receipts and documents connected with such business.

11. Plaints, etc., by whom to be signed :-

Plaints, written statements, rejoinders, complaints, petitions, applications, affidavits, vakalatnamas and all other documents connected with legal proceedings may be signed, verified and presented before any court, tribunal or authority on behalf of the Small Industries Bank by any officer empowered by or

under the regulation 10 to sign documents for and on behalf of the Small Industries Bank.

12. Issue of debentures :-

(1) The debentures of the Small Industries Bank shall be issued under the signatures of the chairman and managing director or any one of the whole-time directors and such signature may be printed, engraved or lithographed or impressed by such other mechanical process as the Board may direct.

(2) A signature so printed, engraved, lithographed or otherwise impressed shall be as valid as a signature in the proper handwriting of the signatory himself.

13. Common Seal :-

The common seal of the Small Industries Bank shall not be affixed to any instrument except in pursuance of a resolution of the Board or of the Executive Committee, as the case may be, and in the presence of atleast three directors including the chairman and managing director or any one of the whole-time directors who shall sign their names to the instrument in token of their presence. and such signing shall be independent of the signing of any person who may sign the instrument as a witness. Unless so signed as aforesaid such instrument shall be of no validity.

14. Balance Sheet and Profit and Loss account :-

The annual accounts of the Small Industries Bank shall be prepared and set out in the following manner :

(i) a balance sheet as at 31st March of each year, and a profit and loss account for the year ending on that date, or such other date as the Board may specify, of the General Fund, in the forms in Schedule I and II to these Regulations or as amended from time to time by the Board; and

(ii) a balance sheet as at the 31st March of each year and profit and loss account for the year ending on that date, or such other date as the Board may specify, of the Small Industries Development Assistance Fund in the forms in Schedule III and IV to these Regulations or as amended from time to time by the Board.

CHAPTER V

NOMINATION FOR DEPOSITS AND SECURITIES

15. Payment on the death of the holder of a security -

(1) The executors or administrators of a deceased sole holder of a security (whether a Hindu, Mohammedan, Parsi or otherwise) or the holder of a succession certificate issued under Part X of the Indian Succession Act 1925 (39 of 1925) in respect of the security shall be the only person or persons who may be recognised by the Small Industries Bank as having any title to the security.

(2) Notwithstanding anything contained in Section 45 of the Indian Contract Act, 1872 (9 of 1872), in the case of a security held payable to two or more holders, the survivor or survivors and, on the death of the last survivor, his executors, administrators, or any person who is the holder of a succession certificate in respect of such security shall be the only person who may be recognised by the Small Industries Bank as having any title to the security.

(3) The Small Industries Bank shall not be bound to recognise such executors or administrators unless they shall have obtained probate or letters of administration, as the case may be, from the competent court or office in India.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1), (2) and (3), where the Small Industries Bank in its absolute discretion deems fit, it shall be lawful for the Small Industries Bank to dispense with the production of probate or letters of administration or other legal representation in any case, upon such terms including obtention of indemnity or otherwise, as it may deem fit.

16. Manner in which nomination may be made and discharge on payment

(1) Notwithstanding anything contained in Regulation 15, where any security is held by one or more persons, the sole holder or, as the case may be, all the holders together may nominate any person or persons to whom, in the event of

the death of the sole holder or the death of all the holders, the amount due on such security may be paid :

Provided that when the security is held by two or more persons and the terms of issue of such security provide for payment of the amount due thereon to the survivor or survivors, the nominee shall become entitled to receive the amount on the security only on the death of all the holders :

Provided further that nothing contained in this regulation shall affect any claim which any representative of the deceased holder may have against the nominee in respect of any amount due on the security.

(2) A nomination shall cease to be in force from the date of death of the sole nominee during the life time of the holder.

(3) If two or more persons are nominated under sub-regulation (1), the amount due on the security shall be distributed amongst the nominees in the manner specified in the nomination and in the absence of such specification, the amount shall be distributed equally among all the nominees :

Provided, however, that if no nomination subsists or if such nomination relates only to a part of the amount due, the whole amount or part thereof to which the nomination does not relate, shall be paid to the persons who may be entitled thereto under sub-regulation (2) of regulation 15.

(4) Where the nominee first named has predeceased the holder and the holder has not cancelled the nomination or substituted the nomination, the nominee second named shall be entitled to receive the amount in respect of the security of the deceased holder and in the same manner on the death of a successive nominee, the nominee next named shall be entitled to receive the amount in respect of such security.

(5) A nomination under sub-regulation (1) may be made by the sole holder or, as the case may be, all the holders together in Form I of Schedule V to these regulations.

(6) A nomination may be made only in respect of the security which is held in the individual capacity of the holder and not in any representative capacity as the holder of an office or otherwise.

(7) A nomination may also be made in favour of Central Government or State Government, a local authority, any person designated by virtue of his office or a religious or charitable trust.

(8) Where the nominee is a minor, the sole holder or, as the case may be, all the holders together may appoint any person (not being a minor) to receive the amount due on the security during the minority of the nominee.

(9) Where the security is held in the name of a minor, the nomination, if any, shall be made by a person lawfully entitled to act on behalf of the minor.

(10) A nomination may be substituted or cancelled by submitting an application to the Small Industries Bank in Form II, of Schedule V to these regulations.

(11) A nomination or a substitution or a cancellation of a nomination shall be registered in the books of the Small Industries Bank and the fact of registration shall be noted on the security and, on such registration, the nomination, substitution or cancellation, as the case may be, shall be deemed to be effective from the date on which it was submitted.

(12) The substitution of nomination or cancellation of nomination shall not be valid in the case of a security held jointly by two or more holders, unless such substitution or cancellation is made by all the surviving holder(s).

(13) The rights, which a nominee has acquired in relation to the security under a nomination duly made and registered under this regulation, shall not be affected by reason of the issue of a duplicate scrip in respect of the security and the nominee shall have the same rights in relation to such duplicate scrip as he had in relation to the original scrip.

(14) Payment by the Small Industries Bank to the nominee in accordance with the provisions of these regulations in respect of a security to which the nomination relates shall constitute a full discharge to the Small Industries Bank of its liability.

EXPLANATION :

For the purpose of regulations 16 and 17 "security" means :-

(a) any debenture issued under clause (a) of sub-section (1) of section 15 of the Act;

(b) any deposit accepted under clause (d) of sub-section (1) of section 15 of the Act; or

(c) any other deposit accepted under a scheme made under any law.

IndiaCode

CHAPTER VI

SHARES AND SHARE REGISTER

17. Share to be movable property :-

The shares of the Small Industries Bank shall be movable property.

18. Control over shares and registers :-

Subject to the provisions of the Act and these regulations, and such directions as the Board may give from time to time, the register kept at the head office shall be maintained by and be under the control of the Board and the decision of the Board as to whether or not a person is entitled to be registered as a shareholder in respect of any share shall be final.

IndiaCode

Provided that nothing contained in this regulation shall apply to the shares held with a depository. The register of beneficial owners maintained by a depository under section 11 of the Depositories Act, 1996 shall deem to be the register of share holders for the purpose of this regulation.

19. Parties who may not be registered as shareholders :-

(1) Except as otherwise provided by these regulations, no minor or person who has been found by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind shall be entitled to be registered as a shareholder.

(2) In case of firms, shares shall be registered in the names of the individual partners and no firm, as such, shall be entitled to be registered as a shareholder.

20. Particulars to be entered in the register :-

(1) In addition to the particulars specified in section 20 B of the Act, except in the cases wherein shares are held with a depository, the following particulars shall be entered in the register, namely :-

(a) The manner in which each shareholder acquired his share or shares, and except in the case of allotment of shares to the Development Bank, the public sector banks, the General Insurance Corporation, the Life Insurance Corporation and other institutions owned or controlled by the Central Government the name of previous holder and the folio on which the share was last entered ;

(b) Whether the shareholder is the Development Bank, the public sector banks, the General Insurance Corporation, the Life Insurance Corporation and other institutions owned or controlled by the Central Government or belongs to a category of shareholders other than the Development Bank, the public sector banks, the General Insurance Corporation, the Life Insurance Corporation and other institutions owned or controlled by the Central Government ; and

(c) When any person ceases to be a shareholder, the name of the person in whose favour the share or shares are transferred.

(2) A separate ledger shall be maintained in respect of (a) the equity shares held by the Development Bank, the public sector banks, the General Insurance Corporation, the Life Insurance Corporation and other institutions owned or controlled by the Central Government and persons other than the Development Bank, the public sector banks, the General Insurance Corporation, the Life Insurance Corporation and other institutions owned or controlled by the Central Government; and (b) preference shares held by the Development Bank, the public sector banks, the General Insurance Corporation, the Life Insurance Corporation and other institutions owned or controlled by the Central Government.

(3) In the case of joint holders of any share, their names and other particulars required by sub-regulation (1) shall be grouped under the name of the first of such joint holders.

(4) A shareholder resident outside India shall furnish to the Small Industries Bank an address in India, and such address shall be entered in the register and be deemed to be his registered address for the purposes of the Act and these regulations.

(5) The register of beneficial owners maintained by a depository under section 11 of the Depositories Act, 1996 shall deem to be the register of share holders for the purpose of this regulation.

21. Exercise of rights of joint holders :-

If any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with the Small Industries Bank except the transfer of shares, be deemed to be the sole holder thereof.

22. Inspection of the register :-

(1) The register shall except when closed under regulation 23, be open to inspection of any shareholder, free of charge, at the place where it is maintained during business hours subject to such reasonable restrictions as the Small Industries Bank may impose, so however that not less than two hours in each working day shall be allowed for inspection.

(2) A shareholder shall not have the right himself to make a copy of any entry in the register, but may, except when the register is closed, require a copy of the register or any part thereof.

23. Closing of the register :-

The Small Industries Bank may, after giving not less than seven days' previous notice by advertisement in atleast two newspapers circulating in India, close the register of shareholders for any period or periods not exceeding in the aggregate forty-five days in each year, but not exceeding thirty days at any one time.

24. Share certificates :-

(1) Every share certificate shall be issued in such form as may be specified by the Board. Each share certificate shall bear a distinctive number and denote the number of shares in respect of which it is issued. Every share certificate shall bear the name of the shareholder to whom it is issued.

(2) Every share certificate shall be signed on behalf of the Small Industries Bank by two persons duly authorised in this behalf by the Board and such signature may be printed, engraved, lithographed or impressed by such other mechanical or electronic process as the Board may direct.

(3) A signature so printed, engraved, lithographed or otherwise impressed shall be as valid as a signature in the proper handwriting of the signatory himself.

Provided that nothing contained in this regulation shall apply to the shares held with a depository.

25. Issue of share certificate :-

(1) While issuing certificates to any shareholder, it shall be competent for the Small Industries Bank to issue the certificates on the basis of one certificate for each fifty shares or multiples thereof registered in his name on anyone

occasion and one additional share certificate for the number of shares in excess thereof but less than fifty.

(2) If the number of shares to be registered is less than fifty, one certificate shall be issued for all the shares.

(3) In the case of shares held jointly by several persons, delivery of the relative certificate or certificates to one of such joint holders shall be sufficient delivery to all and receipt signed by any one of the joint holders shall effectually bind all the joint holders.

Provided that nothing contained in this regulation shall apply to the shares held with a depository.

IndiaCode

26. Renewal of share certificates :-

(1) If a worn out or defaced share certificate is produced, the Board may order the same to be cancelled, and have a new certificate issued in lieu thereof.

(2) If any share certificate is alleged to be lost or destroyed, then upon production of such evidence of the loss or destruction thereof as the Board may consider satisfactory and upon such indemnity with or without security as the Board may require, and on payment to the Small Industries Bank of its costs, charges and expenses of and incidental to the matter, a new certificate in lieu thereof shall be given to the person entitled to such lost or destroyed certificate:

Provided that nothing contained in this regulation shall apply to the shares held with a depository.

27. Transfer of shares :-

(1) Every transfer of the shares of the Small Industries Bank shall be in writing and in Form A as provided in schedule VI.

(2) The instrument of transfer of any share shall be submitted to the Board and shall be signed by the transferor and the transferee and the transferor shall be deemed to remain the holder of such shares until the name of the transferee is entered in register.

(3) Upon receipt by the Board of an instrument of transfer with a request to register the transfer, the Board shall, unless it refuses to register the transfer under section 20 D of the Act, cause the transfer to be registered.

Provided that nothing contained in this regulation shall apply to the shares held with a depository. The register of beneficial owners maintained by a depository under section 11 of the Depositories Act, 1996 shall deem to be the register of share holders for the purpose of this regulation.

28. Power to suspend transfers :-

The Board may suspend the registration of transfer during any period in which the register is closed.

29. Transmission of shares in the event of death, Insolvency etc. of a shareholder :-

(1) The executors or administrators of a deceased share holder in respect of a share, or the holder of a succession certificate issued under Part X of the Indian Succession Act, 1925, in respect of such share or a person in whose favour a valid instrument of transfer of such share was executed by such person and by the deceased sole holder during the latter's lifetime shall be the only person who may be recognised by the Small Industries Bank as having any title to such share.

(2) In the case of the shares registered in the names of two or more shareholders, the survivor or survivors and on the death of the last survivor, his

executors or administrators or any person who is the holder of a succession certificate in respect of such survivor's interest in the share or a person in whose favour a valid instrument of transfer of the share was executed by such person and such last survivor during the latter's life-time, shall be the only person who may be recognised by the Small Industries Bank as having any title to such share.

(3) The Small Industries Bank shall not be bound to recognise such executors or administrators unless they shall have obtained probate or letters of administration or other legal representation, as the case may be, from a court of competent jurisdiction :

Provided, however, that in a case where the Board in its discretion thinks fit, it shall be lawful for the Board to dispense with the production of a succession certificate, letters of administration or such other legal representation upon such terms as to indemnity or otherwise as it may think fit.

IndiaCode

(4) Any such person becoming entitled to a share in consequence of death of a shareholder and any person becoming entitled to a share in consequence of the insolvency, bankruptcy or liquidation of a shareholder shall upon production of such evidence, as the Board may require, have the right, --

(a) To be registered as a shareholder in respect of such share; or

(b) To make such transfer of such share as the person from whom he derives title could have made.

30. Calls on shares :-

The Board may, from time to time, make such calls as it thinks fit upon the shareholders in respect of all moneys remaining unpaid on the shares held by them, and not by the conditions of allotment thereof made payable at fixed times, and each shareholder shall pay the amount of every call so made on him, to the

person and at the time and place appointed by the Board. A call may be made payable by instalments.

31. Calls to date from resolution :-

A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Board authorising such call was passed and may be made payable by the shareholders on the register on such date or at the discretion of the Board on such subsequent date as may be fixed by the Board.

32. Notice of call :-

A notice of not less than thirty days of every call shall be given specifying the time of payment provided that before the time for payment of such call the Board may by notice in writing to the shareholders revoke the same.

IndiaCode

33. Extension of time for payment of call :-

The Board may, from time to time and at its discretion, extend the time fixed for the payment of any call as to all or any of the shareholders having regard to distance of their residence or some other sufficient cause, but no shareholders shall be entitled to such extension as a matter of right.

34. Liabilities of joint holders :-

The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.

35. Amount payable at fixed time or by Instalments as calls :-

If by the terms of issue of any share or otherwise any amount is payable at any fixed time or by instalments at fixed time, every such amount or instalment shall be payable as if it were a call duly made by the Board and of which due

notice had been given and all the provisions herein contained in respect of calls shall relate to such amount or instalment accordingly.

36. When interest on call or instalment payable :-

If the sum payable in respect of any call or instalment is not paid on or before the day appointed for payment thereof, the holder for the time being or allottee of the share in respect of which a call shall have been made, or the instalment shall be due, shall pay interest on such sum at such rate as the Board may fix, from time to time, from the day appointed for the payment thereof to the time of actual payment, but the Board may waive payment of such interest wholly or in part.

37. Non-payment of calls by shareholder :-

No shareholder shall be entitled to receive any dividend or to exercise any privilege as a shareholder until he shall have paid all calls for the time being due and payable on every share held by him, whether singly of jointly with any person, together with interest and expenses, if any.

38. If call or instalment not paid, notice must be given :-

If any shareholder fails to pay the whole or any part of any call or instalment or any money due in respect of any shares either by way of principal or interest on or before the day appointed for the payment of the same, the Board may at any time thereafter during such time as the call or instalment or any part thereof or other moneys remain unpaid or a judgement or decree in respect thereof remains unsatisfied in whole or in part, serve a notice on such shareholder or on the person (if any) entitled to the share by transmission, requiring him to pay such call or instalment or such part thereof or other moneys as remain unpaid together with any interest that may have accrued and all expenses (legal or otherwise) that may have been paid or incurred by the Small Industries Bank by reason of such non-payment.

39. Form of notice :-

The notice shall name a day not being less than fourteen days from the date of the notice and the place or places on and at which such call or instalment or such part or other moneys and such interest and expenses as aforesaid are to be paid. The notice shall also state that in the event of non-payment on or before the time and at the place appointed, the share in respect of which the call was made or instalment is payable will be liable to be forfeited.

40. In default of payment, shares to be forfeited :-

If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any of the shares in respect of which such notice has been given may at any time thereafter before payment of all calls or instalments, interest and expenses or the money due in respect thereof, be forfeited by a resolution of the Board to that effect. Such forfeiture shall include all dividends declared in respect of the forfeited shares and not actually paid before the forfeiture.

IndiaCode

41. Entry of forfeiture in the register :-

When any share has been forfeited under regulation 40, an entry of the forfeiture with the date thereof shall be made in the register.

42. Forfeited shares to be property of the Small Industries Bank and may be sold :-

Any share so forfeited shall be deemed to be the property of the Small Industries Bank and may be sold, reallotted or otherwise disposed of, either to the original holder thereof or to any other person upon such terms and in such manner as the Board may decide.

43. Power to annul forfeiture :-

The Board may, at any time, before any share so forfeited under regulation 40 shall have been sold, reallotted or otherwise disposed of, annul the forfeiture thereof upon such conditions as it may think fit.

44. Shareholder liable to pay money owing at the time of forfeiture and interest :-

Any shareholder whose shares have been forfeited shall, notwithstanding the forfeiture, be liable to pay and shall forthwith pay to the Small Industries Bank all calls, instalments, interests, expenses and other moneys owing upon or in respect of such shares at the time of the forfeiture with interest thereon from the time of forfeiture until payment at such rate as may be specified by the Board and the Board may enforce the payment of the whole or a portion thereof.

IndiaCode

45. Partial payment not to preclude forfeiture :-

Neither a judgement nor a decree in favour of the Small Industries Bank for calls or other moneys due in respect of any shares nor any payment or satisfaction thereunder nor the receipt by the Small Industries Bank of a portion of any money which shall be due from any shareholder from time to time in respect of any shares either by way of principal or interest nor any indulgence granted by the Small Industries Bank in respect of payment of any money shall preclude the forfeiture of such shares under these regulations.

46. Application of forfeiture provisions :-

The provisions of these regulations as to the forfeiture shall apply in the case of non-payment of any sum which by terms of issue of a share become payable at a fixed time, as if the same had been payable by virtue of a call duly made.

47. Small Industries Bank's lien on shares :-

The Small Industries bank, in the case of partly paid up shares, shall have a first and paramount lien for all moneys called or payable at a fixed time in respect of such shares. Any such lien shall extend to all dividends from time to time declared in respect of such shares.

48. Enforcing lien by sale of share :-

The Board may, for the purpose of enforcing lien referred to in regulation 47 sell the shares subject thereto in such manner as it thinks fit, but no sale shall be made unless any sum in respect of which the lien exists is presently payable nor until notice in writing of the intention to sell shall have been served on such shareholder or person, if any, entitled for transmission to the shares and default shall have been made by him in payment of the sum presently payable for seven days after such notice.

IndiaCode

49. Application of proceeds of sale of shares :-

The net proceeds of any sale of shares under regulation 48 after deduction of costs of such sale, shall be applied in or towards the satisfaction of the debt or liability in respect whereof the lien exists so far as the same is presently payable and the residue, if any, paid to the shareholders or the person, if any, entitled by transmission to the shares so sold.

50. Certificate of forfeiture :-

A certificate in writing under the hands of any director, or any other officer of the Small Industries bank duly authorised in this behalf, that the call in respect of a share was made and that the forfeiture of the share was made by a resolution of the Board to that effect, shall be conclusive evidence of the fact stated therein as against all persons entitled to such shares.

51. Title of purchaser and allottee of forfeited share :-

The Small Industries Bank may receive the consideration, if any, given for the share on any sale, re-allotment or other disposition thereof and the person to whom such share is sold, reallotted or disposed of may be registered as the holder of the share and shall not be bound to see the application of the consideration, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale, re-allotment or other disposal of the share and the remedy of any person aggrieved by the sale shall be in damages only and against, the Small Industries Bank exclusively.

52. Service of a notice or document to shareholders :-

(1) The Small Industries Bank may serve a notice or a document on any shareholder either personally, or by post at his registered address or if he has no registered address in India at the address, if any, within India supplied by him to the Small Industries Bank for the giving of notice to him.

(2) Where a document or a notice is sent by post, the service of such document or notice shall be deemed to be effected by properly addressing, prepaying and posting a letter containing the document or notice :

Provided that where a shareholder has intimated to the Small Industries Bank in advance that documents should be sent to him under a certificate of posting or by registered post, with or without acknowledgement due, and has deposited with the Small Industries Bank a sum sufficient to defray the expenses of doing so, service of the document or notice shall not be deemed to be effected unless it is sent in the manner intimated by the shareholder, and unless the contrary is proved, such service shall be deemed to have been effected in the case of a notice of a meeting at the expiration of forty eight hours after the letter containing the same is posted, and in any other case, at the time at which the letter would have been delivered in the ordinary course of post.

(3) A notice or a document advertised in a newspaper widely circulated in India shall be deemed to be duly served on the day on which the advertisement appears, on every shareholder of the Small Industries Bank who has no registered address in India and has not supplied to the Small Industries Bank an address within India for giving of notices to him.

(4) A notice or document may be served by the Small Industries Bank on the joint-holder of a share by serving it on the joint-holder named first in the register in respect of the share.

(5) A notice or a document may be served by the Small Industries Bank on the persons entitled to a share upon death or in consequence of the insolvency of a shareholder by sending it through post in a prepaid letter addressed to them by name, or by the title of representatives of the deceased, or assignees of the insolvent, or by any like description, at the address, if any, in India supplied for the purpose by the persons claiming to be so entitled, or until such an address has been so supplied, by serving the document in any manner in which it might have been served if the death or insolvency had not occurred.

CHAPTER VII

MEETINGS OF SHAREHOLDERS

53. Notice convening a general meeting:-

(1) A notice convening a general meeting of the shareholders signed by the chairman and managing director or any one of the whole-time directors of the Small Industries Bank shall be published at least twenty one clear days before the meeting in not less than two daily newspapers having wide circulation in India.

(2) Every such notice shall state the time, date and place of such meeting, and also the business that shall be transacted at that meeting.

54. Extraordinary general meeting:-

(1) The chairman and managing director or in his absence any one of the whole-time directors of the Small Industries Bank shall convene an extra ordinary general meeting of shareholders if so directed by the Board, or if a requisition for such a meeting has been received from the shareholders carrying in the aggregate not less than twenty per cent of the total voting rights of all the shareholders.

(2) The requisition referred to in sub-regulation (1) shall state the purpose for which the extraordinary general meeting is required to be convened, but may consist of several documents in like form each signed by one or more of the requisitionists.

(3) Where two or more persons hold any shares jointly, a requisition or a notice calling a meeting, signed by one or some of them shall, for the purposes of this regulation have the same force and effect as if it had been signed by all of them.

IndiaCode

(4) The time, date and place of the extraordinary general meeting shall be decided by the Board:

Provided that the extraordinary general meeting convened on the requisition by the shareholders shall be convened not later than three months of the receipt of the requisition.

(5) If the chairman and managing director or any one of the whole-time directors, as the case may be does not convene a meeting as required by sub-regulation (1), within the period stipulated in the proviso to sub-regulation (4), the meeting may be called by the requisitionists themselves within the next three months:

Provided that nothing in this sub-regulation shall be deemed to prevent a meeting duly commenced before the expiry of the period of three months aforesaid from adjourning to some day after the expiry of that period.

IndiaCode

(6) A meeting called under sub-regulation (5) by the requisitionists shall be called in the same manner, as nearly as possible, as that in which the other general meetings are called.

(7) Any reasonable expenses incurred by the requisitionists in calling a meeting under sub-regulation (5) shall be reimbursed to the requisitionists by the Small Industries Bank.

55. Business at general meetings:-

(1) No business other than that specified in Section 20 G of the Act shall be transacted at the annual general meeting except with the consent of the chairman of the meeting.

(2) Except with the consent of the chairman of the meeting, no business shall be transacted or discussed at any extraordinary general meeting, except the business for which the meeting has been convened.

56. Quorum of general meetings:-

(1) No business shall be transacted at any meeting of the shareholders whether it is annual general meeting or an extraordinary general meeting unless a quorum of at least two shareholders or shareholder/s holding at least 20% of issued equity share capital, entitled to vote at such meeting in person or by proxy or by duly authorised representatives is present at the commencement of such business.

Notwithstanding anything contained herein above, till such time the entire issued equity share capital is held by Industrial Development Bank of India, the quorum for any meeting of shareholders whether it is annual general meeting or an extra ordinary general meeting shall be one shareholder.

IndiaCode

(2) If within half an hour after the time appointed for the holding of a meeting, a quorum be not present, in the case of a meeting called by the requisition of shareholders, the meeting shall stand dissolved.

(3) In any other case, the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week, at the same time and place or to such other day and such other time and place as the chairman of the meeting may determine. If at the adjourned meeting a quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding the meeting, the shareholders who are present in person or by proxy or by duly authorised representative at such adjourned meeting shall be quorum and may transact the business for which the meeting was called:

Provided that no annual general meeting shall be adjourned to a date later than the date within which such annual general meeting shall be held in terms of Section 20 F of the Act and if adjournment of the meeting to the same day, in the

following week would have this effect, the annual general meeting shall not be adjourned but the business of the meeting shall be commenced within one hour from the time appointed for the meeting if the quorum is present or immediately after the expiry of one hour from that time and those shareholders who are present in person by proxy or by duly authorised representative at such time shall form the quorum.

57. Chairman at general meetings:-

(1) The chairman and managing director or in his absence, such one of the directors as may be generally or in relation to a particular meeting be authorised by the chairman and managing director in this behalf shall be the chairman of the meeting and if the chairman and managing director or any other director authorised in this behalf is not present, the meeting may elect any other director present to be the chairman of the meeting.

IndiaCode

(2) The chairman of the general meeting shall regulate the procedure at all general meetings and in particular shall have power to decide the order in which shareholders may address the meeting, to fix a time limit for speeches, to apply the closure, when in his opinion, any matter has been sufficiently discussed, and to adjourn the meeting.

58. Persons entitled to attend general meetings:-

(1) All directors and all shareholders of the Small Industries Bank shall, subject to the provisions of sub-regulation (2) be entitled to attend a general meeting.

(2) A shareholder (not being the Development Bank, the Public Sector Banks, the General Insurance Corporation, the Life Insurance Corporation and other institutions owned or controlled by the Central Government) or a director, attending a general meeting shall for the purpose of identification and to

determine his voting rights, be required to sign and deliver to the Small Industries Bank a form containing the particulars relating to:

(a) his full name and registered address;

(b) the distinctive numbers of his shares;

(c) whether he is entitled to vote and the number of votes to which he is entitled in person or by proxy or as a duly authorised representative.

59. Voting at general meetings:-

(1) At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded, be decided on a show of hands.

(2) Save as otherwise provided in the Act, every matter submitted to a general meeting shall be decided by a majority of votes.

(3) Unless a poll is demanded under sub-regulation (1), a declaration by the chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried, either unanimously or by a particular majority, and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be a conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of or against such resolution.

(4) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Small Industries Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one-fifth of the total voting power in respect of the resolution.

(5) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.

IndiaCode

(6) A poll demanded on a question of adjournment or election of chairman of the meeting shall be taken forthwith.

(7) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty eight hours from the time when the demand was made, as the chairman of the meeting may direct.

(8) The decision of the chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in the case of poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

60. Minutes of general meetings

(1) The Small Industries Bank shall cause the minutes of all proceedings to be maintained in the books kept for the purpose which may be in the form of binders containing loose leaves.

IndiaCode

(2) Any such minutes, if purporting to be signed by the chairman of the meeting at which the proceedings were held, or by the chairman of the next succeeding meeting, shall be evidence of the proceedings concluded thereat.

(3) Until the contrary is proved every general meeting in respect of the proceedings whereof minutes have been so made shall be deemed to have been duly called and held, and all proceedings held thereat to have been duly held.

CHAPTER VIII

VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

61. Determination of voting rights :-

(1) Subject to the provisions contained in section 20 G of the Act, -

(a) upon a show of hands, every shareholder entitled to vote and present in person or by attorney or proxy shall have one vote; and

(b) upon a poll, every shareholder, who being an individual is present in person or by attorney or by proxy or being the Development Bank, the public sector banks, the General Insurance Corporation, the Life Insurance Corporation and other institutions owned or controlled by the Central Government or any other body corporate, is present through a representative, shall have a voting right in proportion to his or its share of the paid up equity capital of the Small Industries Bank.

(2) Shareholder of the Small Industries Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

(3) A person appointed as proxy shall be entitled to vote upon a poll.

62. Voting by duly authorised representative :-

(1) A shareholder being the Development Bank, the public sector banks, the General Insurance Corporation, the Life Insurance Corporation and other institutions owned or controlled by the Central Government or any other body corporate may authorise any of its officials or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so

authorised (referred to as a "duly authorised representative" in these regulations) shall be entitled to exercise the same rights including the right to vote by proxy and powers on behalf of the Development Bank, the public sector banks, the General Insurance Corporation, the Life Insurance Corporation and other institutions owned or controlled by the Central Government or any other body corporate as if he were an individual shareholder of the Small Industries Bank.

(2) No person shall attend or vote at any meeting of shareholders of the Small Industries Bank as the duly authorised representative of a body corporate other than the Development Bank, the public sector banks, the General Insurance Corporation, the Life Insurance Corporation and other institutions owned or controlled by the Central Government unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorised representative certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the head office of the Small Industries Bank not less than four clear days before the date fixed for the meeting.

IndiaCode

EXPLANATION :

For the purpose of this regulation, a body corporate shall also include a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or any other law for the time being in force providing for registration of societies.

63. Proxies :-

(1) No instrument of proxy shall be valid unless in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorised in writing, or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his attorney duly authorised in writing or in the case of the body corporate it is executed under its common seal, if any, or signed by its attorney duly authorised in writing :

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who for any reason is unable to write his name, if his thumb impression is affixed thereto and attested by a judge, magistrate, registrar or sub-registrar of assurances or other Government gazetted officer or an officer of a public sector bank or the Small Industries Bank.

(2) No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the head office of the Small Industries Bank not less than four clear days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power or authority certified by notary public or a magistrate unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Small Industries Bank.

IndiaCode

(3) No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form B as provided in Schedule VI.

(4) An instrument of proxy deposited with the Small Industries Bank shall be irrevocable unless,

(a) on or before the last date of deposit of proxy, there shall have been deposited at the head office of the Small Industries Bank a notice in writing under the hand or common seal of the granter specifically stating -

(i) the name of the person in whose favour the instrument was granted; and

(ii) that such instrument is revoked; or

(b) the same is deemed to be invalid under sub-regulation (6).

(5) In the case of an instrument or proxy granted in favour of two grantees in the alternative, it shall not be necessary to mention in the notice of

revocation the name of the second or alternative grantee provided that the notice is otherwise sufficient to identify beyond doubt the instrument of proxy which it is intended to revoke.

(6) If two or more instruments of proxy in respect of the same shares are deposited and if on or before the last day for deposit of proxies all but one of such instruments of proxy has not been duly revoked in accordance with the procedure laid down in sub-regulation (4) all such instruments of proxy shall be deemed to be invalid.

(7) The due revocation of an instrument of proxy shall in no way prohibit the deposit of another valid instrument of proxy within the time specified in sub-regulation (2).

(8) The grantor of an instrument of proxy which has become irrevocable under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

(9) No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of the Small Industries Bank.

(10) Nothing contained in this regulation shall apply to the Development Bank, the public sector banks, the General Insurance Corporation, the Life Insurance Corporation and other institutions owned or controlled by the Central Government and the Development Bank, the public sector banks, the General Insurance Corporation, the Life Insurance Corporation and other institutions owned or controlled by the Central Government may appoint such person as it thinks fit to act as its representative at any general meeting of the Small Industries Bank. A person so appointed shall for the purpose of the meeting be deemed to be the shareholder of the Small Industries Bank and shall exercise the same rights and powers as the Development Bank, the public sector banks, the General Insurance Corporation, the Life Insurance Corporation and other institutions owned or controlled by the Central Government shall be entitled to exercise at the meeting.

IndiaCode

CHAPTER IX

ELECTION OF DIRECTORS

64. Nomination of directors -

(1) The nomination of directors under clause (d) of sub-section (1) of section 6 of the Act shall be made by the first three shareholders amongst the Development Bank, the Public Sector Banks, the General Insurance Corporation, the Life Insurance Corporation and other institutions owned or controlled by the Central Government holding maximum number of equity shares.

(2) In case the number of shareholders holding equal largest number of equity shares is more than three, the nomination of three directors shall be made by such shareholders by consensus amongst themselves and in the absence of such consensus, the nomination shall be made by draw of lots.

(3) In case the number of shareholders holding equal second largest number of equity shares is more than two, the nomination of two directors shall be made by such shareholders by consensus amongst themselves and in the absence of such consensus , the nomination shall be made by draw of lots.

(4) In case the number of shareholders holding equal third largest number of equity shares is more than one, the nomination of one director shall be made by such shareholders by consensus and in the absence of consensus the nomination shall be made by draw of lots.

5) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1) to (4) of this Regulation, no shareholder shall be entitled to nominate more than one director.

(1) A director to be elected under clause (f) of sub-section (1) of section 6 of the Act shall be elected by the shareholders in the annual general meeting of the Small Industries Bank.

(2) The number of directors to be elected and the particular vacancies in respect of which the election is to be held shall be specified in the notice convening the annual general meeting.

66. Nomination of candidates for election :-

(1) No candidate for election as a director shall be validly nominated unless:-

(a) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be director under sub-section (1) of Section 8 of the Act;

(b) the nomination is in writing signed by at least two shareholders entitled to elect directors under clause (f) of sub-section (1) of Section 6 of the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a body corporate may be made by resolution of the directors of the said body corporate and where it is so made, a copy of resolution certified to be true copy by the chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the head office of the Small Industrie Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such body corporate;

(c) the nomination shall accompany or contain a declaration signed by the candidate before a judge, magistrate, registrar or sub-registrar of assurances or other gazetted officer or an officer of a public sector bank or Small Industries Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified for election under Section 8 of the Act.

(2) No nomination shall be valid unless it is complete in all respects and received, in the head office of the Small Industries Bank on a working day not less than fourteen clear days before the date fixed for the meeting.

67. Scrutiny of nominations:-

(1) Nominations shall be scrutinised on the first working day following the last date fixed for receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason therefor. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.

(2) A director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be elected.

68. Election disputes:-

(1) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed or declared to be elected, or as to the validity of election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may within seven days of the date of declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the chairman and managing director of the Small Industries Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.

(2) On receipt of an intimation under sub-regulation (1), the chairman and managing director of the Small Industries bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of himself and any two of directors nominated under clauses (c) and (e) of sub-section (1) of section 6 of the Act.

IndiaCode

(3) The committee referred to in sub-regulation (2) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election, or if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

(4) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

69. Removal of director:-

A director sought to be removed under sub-section (8) of section 6 of the Act, shall be given an opportunity to make representation in writing against such removal to the Small Industries Bank (not exceeding a reasonable length), and

such representation, if the director so requests shall be circulated among the shareholders other than the Development Bank, the public sector banks, the General Insurance Corporation, the Life Insurance Corporation and other institutions owned or controlled by the Central Government or alternatively if the director so requests, be published in any newspaper circulated in India and if such circulation or publication of representation is not possible for want of time, the same shall be read out at the meeting.

70. Retirement of directors co-opted.

Subject to clause (f) of sub-section 1 of Section 6 of the Act, the directors co-opted by the Board shall retire in the order of co-option on assumption of charge by the director or directors elected by the shareholders other than the Development Bank, the public sector banks, the General Insurance Corporation, the Life Insurance Corporation and other institutions owned or controlled by the Central Government. If the co-option of more than one director is made on the same day, the retirement of such co-opted director (s) will be on the basis of descending order or in order of the name first written (in case the names are written in horizontal order), as the case may be, as appearing in the resolution passed by the Board for co-option of such directors.

GENERAL FUND

SCHEDULE I

[See Regulation 14(I)]

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

BALANCE SHEET AS AT ———

Previous Year Rs.	LIABILITIES	This year Rs.	Previous Year Rs.	ASSETS	This year Rs.
	1 **SHARE CAPITAL:**			1 **CASH AND BANK BALANCES :**	
	Authorised			I) Cash in hand and balances with Reserve Bank of India	
	Issued and paid-up			II) Balances with other Banks in India	
				a) On Current Account	
				b) On Deposit Account	
				III) Balances with other Banks outside India	
	2 **RESERVES, FUNDS AND SURPLUS:**			a) On Current Account	
	I) Reserve Fund			b) On Deposit Account	
	II) Other Funds				
	III) Reserves				
	Less:Debit balance ,if any, in the Profit & Loss Account			2 **INVESTMENTS:**	
				I) In securities of Central and State Governments	
	IV) Surplus				
				II) In stocks, shares, bonds and debentures of financial institutions	
	3 **GIFTS, GRANTS, DONATIONS**			III) In stocks, shares, bonds & debentures of industrial concerns	
	AND BENEFACTIONS:			IV) Others	
	I) From Government				
	II) From other sources			3 **LOANS AND ADVANCES**	
				) To banks and other finincial institutions	
				II) To industrial concerns	
	4 **BONDS AND DEBENTURES :**			III) Others	
				4 **BILLS OF EXCHANGE AND PROMISSORY NOTES DISCOUNTED OR REDISCOUNTED:**	
	5 **DEPOSITS:**				
	6 **BORROWINGS:**			5 **PREMISES :**	
	I) From Reserve Bank of India			(At cost less depreciation)	
	a) Secured against stocks, funds and other trustee securities				
	b) Secured against bills of exchange or promissory notes				
	c) Out of the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund				
	II) From Government of India			6 **OTHER FIXED ASSETS :**	
	a) Interest-free loan				
	b) Other loans			(At cost less depreciation)	
	III) From Industrial Development Bank of India				
	IV) From Other sources				
	V) In Foreign Currency				
	7 **CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS:**			7 **OTHER ASSETS :**	

CONTINGENT LIABILITIES:

I) Claims against the Bank not acknowledged as debts

II) On account of guarantees/letters of credit issued

III) On account of underwriting commitments

IV) On account of uncalled monies on partly paid shares, debentures etc.

V) Other Monies for which the Bank is contingently liable

GENERAL FUND

SCHEDULE II

[See regulation 14(i)]

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ----------

Previous Year Rs.		EXPENDITURE	This year Rs.	Previous Year Rs.		INCOME	This year Rs.
						(Less provisions made during the year for bad and doubtful debts and other necessary and expedient provisions)	
	1	Interest paid on Deposits, Borrowings, etc.			1	Interest and Discount etc	
	2	Establishment Expenses			2	Income from Investments	
	3	Directors' & Committee Members' Fees and Exp.			3	Commissions, brokerage, etc.	
	4	Auditors' Fees			4	Net Profit on sale of investments (not credited to reserves or any particular fund or account)	
	5	Rent, Taxes, Insurance, Lighting, etc.					
	6	Law Charges			5	Other Income	
	7	Postage, Telegrams & Stamps			6	Loss for the year	
	8	Stationery, Printing, Advertisement, etc.					
	9	Depreciation/ Amortisation					
	10	Depreciation on Leased Assets					
	11	Net Loss on sale of Investments (not debited to reserve or any particular fund or account)					
	12	Other Expenditure					
	13	Profit for the year carried down					
	14	Loss for the year brought down			7	Profit for the year brought down	
	15	Balance of loss brought foward from last year			8	Balance of profit brought foward from last year	
	16	Appropriation			9	Balance of loss carried to balance sheet	
	17	Balance of profit carried to balance sheet					

IndiaCode

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT ASSISTANCE FUND

SCHEDULE III

[See Regulation 14(m)]

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

BALANCE SHEET AS AT ----------

Previous Year Rs.	LIABILITIES	This year Rs	Previous Year Rs	ASSETS	This year Rs.
	1 **RESERVES AND FUNDS :**			1 **CASH AND BANK BALANCES .**	
	i) Reserves Fund			i) Cash in hand and balances with Reserve Bank of India	
	ii) Other Funds			ii) Balances with other Banks in India	
	iii) Reserves			a) On Current Account	
				b) On Deposit Account	
				iii) Balances with other Banks outside India	
	2 **GIFTS, GRANTS, DONATIONS AND BENEFACTIONS:**			a) On Current Account	
	i) From Government			b) On Deposit Account	
	ii) From other sources				
				2 **INVESTMENTS:**	
				i) In securities of Central and State Governments	
				ii) In stocks, shares, bonds and debentures of financial institutions	
	3 **BONDS AND DEBENTURES :**			iii) In stocks, shares, bonds & debentures of industrial concerns	
				iv) Others	
				3 **LOANS AND ADVANCES**	
	4 **DEPOSITS:**				
				4 **BILLS OF EXCHANGE AND PROMISSORY NOTES DISCOUNTED OR REDISCOUNTED:**	
	5 **BORROWINGS:**			5 **OTHER ASSETS :**	
	(i) From Government of India				
	(ii) From Other sources				
	6 **CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS:**			6 **PROFIT AND LOSS ACCOUNT**	
				Balance from last Balance Sheet	
	7 **PROFIT AND LOSS ACCOUNT**			Profit/Loss transferred from the account annexed	
	Balance from last Balance Sheet				
	Profit/Loss transferred from the account annexed				

CONTINGENT LIABILITIES:

i) Claims against the Bank not acknowledged as debts

ii) On account of guarantees/letters of credit issued

iii) On account of underwriting commitments

iv) On account of uncalled monies on partly paid shares, debentures etc.

v) Other Monies for which the Bank is contingently liable

IndiaCode

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT ASSISTANCE FUND
SCHEDULE IV
[See regulation 14(ii)]

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ———

Previous Year Rs.		EXPENDITURE	This year Rs.	Previous Year Rs.		INCOME (Less provisions made during the year for bad and doubtful debts and other necessary and expedient provisions)	This year Rs.
	1	Interest paid on Deposits, Borrowings, etc.			1	Interest and Discount	
	2	Establishment Expenses			2	Income from Investments	
	3	Auditors' fees			3	Commissions, Brokerage, etc.	
	4	Rent, Taxes, Insurance, Lighting, etc.			4	Net Profit on sale of investments (not credited to reserves or any particular fund or account)	
	5	Law Charges			5	Other Income	
	6	Postage, Telegrams & Stamps			6	Balance of loss carried to Balance Sheet	
	7	Stationery, Printing, Advertisement, etc.					
	8	Net Loss on sale of investments (not debited to reserve or any particular fund or account)					
	9	Other Expenditure					
	10	Balance of profit carried to Balance Sheet					

IndiaCode

SCHEDULE V
(See Regulation 16)
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
FORM I
FORM OF NOMINATION / SUBSTITUTION OF NOMINATION

1. I/We nominate the following person(s) to whom, in
(Name/s of the holder(s))
the event of my/our/minor holder's death, the amount due on the securities specified below may be paid :-

Sr. No.	Description	Distinctive Numbers	Date of Issue	Face value
1.				
2.				

NOMINEE(S)

Sr. No.	Name	Address	Date of Birth (if the nominee is a minor)	Percentage of amount payable @
1.				
2.				

IndiaCode

2. *As the nominee(s) at serial No. (s)..... above is/are minor(s), I appoint Shri/Smt/Kumari as the person to receive the amount due on
(Name and full address)
the securities in the event of my/our/minor holder's death during the minority of such nominee(s).

3. **This nomination is in substitution of the nomination dated made by me/us and registered in the books of the Small Industries Bank on which shall stand cancelled on registration of this nomination.

***(Signature of the holder)

Place :
Date :

Signature and addresses of witnesses :
1.
2.

@ Indicate in this column the percentage of total amount payable to each nominee.
** Strike out this paragraph when the nomination is not in favour of a minor.*
***Strike out this paragraph when the nomination is not in substitution of one already made.*
**** If security is held in the name of a minor, the nomination has to be signed by a person lawfully entitled to act on behalf of the minor.*

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

FORM II

FORM OF CANCELLATION OF NOMINATION

I/We do hereby cancel the nomination dated made by me/us

(Name/s of the holder(s))

in respect of the securities specified below and registered on

Sr. No.	Description	Distinctive Numbers	Date of Issue	Face value
1.				
2.				
3.				

Place :
Date :

*(Signature of the holder)

(Name of the holder)

Signature and addresses of witnesses :

1.
2.

** If security is held in the name of a minor, a cancellation of nomination should be signed by a person lawfully entitled to act on behalf of the minor.*

IndiaCode

SCHEDULE VI

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

FORM A

Share Transfer Form

[See sub-regulation (1) of regulation 27]

FOR THE CONSIDERATION stated below the "Transferor(s)" named do hereby transfer to the "Transferee(s)" named the shares specified below subject to the conditions on which the said shares are now held by the Transferor(s) and the Transferee(s) do hereby agree to accept and hold the said shares subject to the conditions aforesaid

Name of the recognised Stock Exchange, where dealt in, if any :

Description of Equity Shares

No in Figures	No. in words	Consideration (in figures)	Consideration (in words)

Distinctive Numbers From To

Corresponding Certificate Nos.

Transferor(s) [Seller(s)] Particulars	Regd. Folio No.	Signatures
Name(s) in full	1.	1.
	2.	2.
	3.	3.
	4.	4.

ATTESTATION

I hereby attest the signature of the Transferor(s) herein mentioned

Signature of the witness

Signature

Name

Address/Seal

Name and address of witness.

Pin

Transferee(s)	Buyer(s) Particulars	Signatures (s)
Name(s) in full	1.	1.
	2.	2.
	3.	3.

Occupation	Address	Father's / Husband's Name
1.		
2.		
3		

IndiaCode

Transferee(s) existing Folio if any, in same order of Names

Value of Stamps affixed Rs.

Dated this_____day of _____ Two thousand _____

Place:_____

For office use only
Checked by_____

Folio
Specimen Signature(s) of transferee(s) 1._____ 2._____

Signatures tallied by

Entered in Register of Transfer No. _____
Approval Date _____

Instructions for attestation :

Attestation, where required (thumb impressions, marks signature difference etc.) should be done by a Magistrate, Notary Public or Special Executive Magistrate or a similar authority holding a public office and authorised to use the Seal of his office or a member of a recognised Stock Exchange through whom the shares are introduced or a manager of the Transferor's Bank.

NOTE: Names must be rubber stamped preferably in a straight line. Chronological order should be maintained. Broker's Clearing Number should be stated when delivery is given by a clearing Member Bank.

Name of delivering broker or clearing member_____ Date:

Power of Attorney
Probate
Letters of Administration

Death Certificate

Registered with the Company No._____ Date_____

(Signature (not initials) of Broker, Bank, Company or Stock Exchange Clearing House)

Lodged by :
Full Address:

Share Certificate to be returned to

(fill in the name and address to which the certificates are required to be returned)

Name & Address:

Share Transfer Stamps

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
FORM B

FORM OF PROXY
(see sub-regulation (3) of regulation 63)

I/We, resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder / shareholders of the Small Industries Bank hereby appoint Shri _____ resident of _____ in the district _____ in the State of _____ or failing him, Shri _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the meeting of the shareholders of the Small Industries Development Bank of India to be held on the _____day of _____ and at any adjournment thereof

Signed by the _____ day _____

S.S.KOHLI
CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

Certified that the Board of Directors of Small Industries Bank in its meeting held on October 4, 2000 at New Delhi has approved and adopted the Small Industries Development Bank of India General Regulations , 2000.

[Advt/III/IV/Exty/139/2000]
S.C. GARG, General Manager (Legal)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 2000